कामकाजी महिला

वर्ष 4 अंक 1 अक्टूबर, 1991 मूल्य : 2 रु०

ज्योति बसु आंगनवाड़ी महिलाओं की 26 अगस्त 1991 को कलकत्ता में हुई रैली को वर्षा में संबोधित करते हुए

अमरीका को समझ लेना चाहिए कि भारत बिकाऊ नहीं है

विश्व बैंक और आइ एम एफ के निर्देशन में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नीति पैकेज के कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, देश भर के मजदूर वर्ग को इससे अवगत होना ही चाहिए। इन नीतियों का असर धीरे-धीरे सामने आ रहा है। आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतें अभूत पूर्व ढंग से बढ़ी हैं जिसके चलते आम आदमी का जीवन स्तर घटता जा रहा है।

रेल बजट के जरिये रेल किरायों में बढ़ोतरी के रूप में जनता पर असहनीय बोझ डाल दिया गया। माल भाड़े में हुयी बढ़ोतरी से रेल द्वारा ढोयी जाने वाली वस्तुओं की कीमतें और बढ़ गयीं। रेलवे में कैटरिंग (खान-पान) के निजीकरण की जो धमकियां दी जा रही हैं उससे अनेकों कर्मचारियों की रोजी छिन जायेगी। बड़े पैमाने पर जिन रेल कर्मचरियों को विक्टिमाइज किया गया था सरकार ने उन्हें अब तक वापस काम पर नहीं लिया है जबकि आश्वासन अनेकों बार दिए जा चुके हैं। आम बजट की घोषणा के जरिये चीनी, खाना पकाने की गैस आदि चीजों को और महगा कर दिया गया है जबकि उर्वरकों की सब्सीडी आंशिक रूप से वापस ले ली गयी है जिससे अनाज, गन्ना, दालों, तिलहन और साग-सब्जियों की कीमतें और बढ़ जाने वाली हैं। वित्त मंत्री ने आयकर के लिए आय की सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया। इसके चलते मजदूर और नौकरी-पेशा कर्मचारी बडी मात्रा में प्रभावित होंगे।

सरकार गरीबों को तो कमर कसने के उपदेश दे रही है जबकि दौलत मंदों को ऐश करने की छूट दे रही है। बड़े औद्योगिक घरानों को आजादी के बाद पहले कभी ऐसा खुला मैदान नहीं मिला था। देहात में सांमतों को गरीबों को लूटने की खुली छूट दे दी गयी है। सरकार भूमि सुधारों की बात तो बहुत करती है, लेकिन वह सब कागजी ही है। भूमिहीन मजदूर और बटाईदार भयानक शोषण का शिकार है हरिजनों और आदिवासियों की हालत खासतौर से बहुत ही सोचनीय है, महिलाओं के

[शेष पृष्ठ 22 पर]

विषय सूची

अमरीका को समझ लेना चाहिए कि भारत बिकाऊ नहीं है	2
अल्पमत कांग्रेसी सरकार की आर्थिक नीतियों को परास्त करें	3
उपभोक्ताओं के संदर्भ में सरकार अपना रवैया बदलें	7
महिला जनसंख्या एवं सामाजिक असमानता	11
अब आंगनवाड़ी का भी निजीकरण	12
महाराष्ट्र आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की बैठक	13
पंजाब में कामगार महिलाओं का सम्मेलन	14
तमिलनाडु चुनावों में महिलाओं की भागेदारी	15
विभिन्न महिला संगठनों द्वारा त्रिपुरा में हुए अत्याचार के बारे में प्रधानमंत्री को दिया गया ज्ञापन	16
रायपुर संभाग जीवन बीमा निगम कामगार महिला सम्मेलन	17
आंगनवाड़ी कर्मियों के संदर्भ मे वित्तमंत्री को ज्ञापन	18
महिला उद्यमियों को सामूहिक बातचीत का अधिकार	19
उड़ीसा में महिला आंगनवाड़ी कामगारों की गतिविधियों पर रपट	20
हावड़ा जिला कामगार महिला सम्मेलन	21
भोपाल गैस पीड़ित महिलाओं की ओर एक ज्ञापन	22
मध्यप्रदेश कामगार महिला समन्वय समिति का गठन	23

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

ए. आइ. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का आह्वान

अल्पमत कांग्रेसी सरकार की आर्थिक नीतियों को परास्त करें

कलकत्ता में हुए महिला उद्यमियों के तीसरे सम्मेलन के बाद महिला उद्यमियों की बैठक 29-30 जुलाई '91 को दिल्ली सांसद क्लब में हुई। 10 राज्यों से निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

कॉ. प्रसन्नाकुमारी व के. आर. भानुमती (केरल), कॉ. उमा महेश्वरी तथा देवी प्रेमाश्वरी (तमिलनाडु), कॉ. मधु सेठिया (राजस्थान), कॉ. के हेमलता (आंध्रप्रदेश) कॉ. दीपाली बोस (पश्चिम बंगाल), का. कुमुदनी बेहरा (उड़ीसा), कॉ. एम. एम राजम्मा तथा खुर्शीद बेगम (कर्नाटक), कॉ. सुरिन्दर कौर तलविन्दर कौर (पंजाब), कॉ. लक्ष्मी सहगल (उ. प्र.) कॉ. संध्या बख्शी व सुरिन्दर मिश्रा (बिहार) तथा कॉ. विमल रणदिवे व सुशीला गोपालन। केन्द्र की ओर से कॉ रंजीत बसु ने बैठक में भाग लिया। कॉ मंजुलिका बासु ने त्रिपुरा से वहां की गतिविधियों की रपट भेजी। मध्य प्रदेश से कॉ. संध्या शैली से भी एक रपट प्राप्त हुई जिसमें न आ सकने के लिए क्षमा भी मांगी गयी थी।

कॉ. सुशीला ने बैठक की अध्यक्षता की। दो मिनट के मौन के साथ शहीदों पर एक प्रस्ताव पास किया गया। इस अवधि में अनेक महत्वपूर्ण नेताओं का निधन हो गया था। एन. जी. ओ (केरल) की कॉ. शारदा पर एक शोक प्रस्ताव पास किया गया व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। पंजाब व त्रिपुरा की स्थितियों को समझाते हुए दोनों राज्यों के बारे में दो प्रमुख प्रस्ताव पास किये गये। राजीव गांधी की हत्या के बाद दफ्तर जला दिये गये तथा महिलाओं सहित त्रिपुरा के कामरेडों पर हमले किये गये थे। पंजाब में जिला सीटू तथा मोटर मजदूर यूनियन के नेता सुखदेव सिंह तथा जालंधर जिला सीटू के सचिव तथा चुनाव में माकपा प्रत्याशी का. वीरेन्द्र कुमार गगन की उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गयी थी। इन साथियों द्वारा किये गए महत्वपूर्ण कार्य को अन्य साथियों को आगे बढ़ाना होगा। इन सभी कॉमरेडों को श्रद्धा अर्पित करने के बाद बैठक की कारवाई आरंभ की गयी। कॉ. विमल रणदिवे ने रिपोर्ट रखी।

उन्होंने तीसरे सम्मेलन के बाद से पिछले चार माह में घटी प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया। इस दौर की प्रमुख गतिविधि चुनाव थे जिनकी अचानक घोषणा कर दी गयी थी और हमें अपनी सारी शक्ति उस राष्ट्रीय कार्य की ओर लगानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने राजीव गांधी की अमानवीय हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस घटना को जन संगठनों पर हमलों का बहाना बनाया गया था। अन्य प्रमुख बातें जैसे जैसे चुनावों में कांग्रेस-भाजपा गठजोड़ तथा संसद में कांग्रेस व भाजपा का दो बड़ी पार्टियों के रूप में उभरना तथा उत्तर प्रदेश में वामपंथ-राष्ट्रीय मोर्चा को 127 मिलने का भी उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में, पश्चिम बंगाल में चौथी बार वाम मोर्चा के चुनाव जीतने तथा विधान सभा में 19 महिलाओं के चुने जाने का भी अभिनंदन किया गया। इसके बाद का. विमल रणदिवे ने चुनावों में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया। प. बंगाल में चुनाव के शानदार नतीजे रहे, हालांकि केरल में हम 2% के अंतर से चुनाव हार गये।

इसके बाद उन्होंने सरकार की नयी आर्थिक नीतियों तथा मजदूर वर्ग पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में बताया। नयी तकनीक मशीनीकरण, स्टील, कोयला उद्योगों व आंगनवाड़ी तक का निजीकरण तथा मूल्य वृद्धि के रूप में कामगार महिलाओं पर एक बड़ा हमला हो रहा है तथा उसके विरोध के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना है। ब्यौरा रपट में दिया गया है।

कुछ अन्य गतिविधियों की ओर आते हुए बिहार राज्य आंगनवाड़ी संघ की स्थापना के बारे में बताया जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई है। ए. आइ. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. सहित सात महिला संगठनों के कुछ संयुक्त कार्यक्रम रहे जिनमें महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की मांग करते हुए, शिशु व महिला कल्याण मंत्री, ममता बनर्जी तथा राष्ट्रपति के पास एक प्रतिनिधिमंडल का जाना शामिल है। समिति के सामने संयुक्त संघर्ष समिति की रपट भी रखी गयी व बताया गया कि मंत्री महोदय ने

क्या आश्वासन दिये हैं। पंजाब स्त्री मुलाजिम कमेटी का मामला व उनके कार्यों का भी रपट में उल्लेख किया गया। मजदूर आंदोलन में महिलाओं के अलग संगठनों का सुझाव नहीं दिया जा सकता। ट्रेड यूनियनों के महिला निकाय होने चाहिये। सीटू महिलाओं के बीच भी कुछ काम किये जाने की आवश्यकता है 'वॉयस ऑफ वर्किंग वीमेन' तथा 'कामकाजी महिला' की बिक्री के बारे में भी रपट रखी गयी। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे इसे गंभीरता से लें व अपनी रपटें भेजें। सामान्यत: कुछ राज्यों से रिपोर्टें भेजी जाती हैं, लेकिन बंगाल से अब तक कोई रपट नहीं भेजी गयी। हालांकि वहां अनेक गतिविधियां चल रही हैं।

उन्होंने रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में रखे गये कामों का जिक्र किया तथा सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उन पर अपने विचार व्यक्त करें। का. सुशीला गोपालन ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए हाल की घटनाओं के बारे में बताया। राजीव गांधी के पहले कांग्रेस (ई) को केवल 27% वोट मिले थे। वाम मोर्चा व राष्ट्रीय मोर्चा तीसरी शक्ति होंगे। अगर राजीव गांधी की हत्या न हुई होती तो वाम मोर्चा व उसके सहयोगियों को 240 तक स्थान प्राप्त हो सकते थे। वे भाजपा की बढ़ती हुई ताकत के बारे में भी बोलीं। झगड़ों व हमलों के कारण उ. प्र. जैसे कुछ ईलाकों में लोग मतदान के लिए नहीं जा सके। इसके बाद वे अयोध्या की सांप्रदायिक स्थिति व लोगों की एकता के लिए विहिप व बजरंग दल द्वारा पैदा की गयी चुनौती के बारे में बोलीं वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे को ऐसी सभी ताकतों का विरोध करके लोगों की एकता को मजबूत बनाये रखना है।

उ. प्र. से कॉ. लक्ष्मी सहगल ने बताया कि कानपुर में भाजपा द्वारा किस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है तथा ऐसी परिस्थिति में काम करना कितना कठिन है। मंडल आयोग के मुद्दे को लेकर उच्च वर्ग के लोग खफा थे। इसके बावजूद हमारी महिलाओं ने इन परिस्थितियों में काम किया। जनता दल के विभाजन के कारण मुस्लिम मत विभाजित हो गये थे।

का खुर्शीद बेगम (कर्नाटक) ने बताया कि संघर्ष के बाद कर्नाटक इलैक्ट्रोनिक फैक्ट्री मजदूरों का वेतन 340 रु. से 2200 रु. कराने में सफलता मिली। नौ साल पहले हमारी यूनियन बनी थी। लघु उद्योगों में महिलाएं काम करती हैं तथा हम उन्हें यूनियनों में संगठित करने का प्रयास करते हैं। राज्य सीटू ने काम में हमारी मदद की। हमने चुनावों में भी काम किया।

कॉ. एम. एम. राजम्मा (कर्नाटक) : बंगलौर औद्योगिक क्षेत्र में अधिकांश यूनियनें सीटू की हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो हमारे साथ हैं तथा वे फंड आदि जमा करने में हमारी मदद करती हैं। जब कभी उन्हें किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है तो वे समूह में आती हैं। एक यूनियन में प्रबधकों से बातचीत में महिलाएं आगे थीं, लेकिन पुरुष नेताओं ने सोचा कि महिलाएं कोमल हैं तथा समझौता बातचीत उन्हें नहीं करनी चाहिये। जहां तक आंगनवाड़ी का संबंध है हमने अपनी यूनियनें बनायी हैं तथा उन्हें पंजीकृत भी कराया है। बंग्लोर काजू मजदूरों में अनेक महिलाएं हैं लेकिन उनकी सक्रियता घट रही है और सीटू नेतृत्व कुछ करने को तैयार नहीं है। नर्सें व अध्यापिकाएं जानना चाहती थीं कि वे ए. आई. डी. डब्ल्यू ए के साथ काम करेंगी अथवा सीटू, ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ।

उड़ीसा से का. कुमुदिनी बेहरा : ने अपनी रिपोर्ट जमा की। तीसरा सम्मेलन हुआ था तथा एक दस सदस्यीय समिति गठित की गयी थी। सात हमारी राज्य समितियां हैं। वे आर्थिक कारणों से भाग नहीं ले सकतीं। हमें बेहतर मार्ग दर्शन की आवश्यकता है।

पंजाब से कॉ० सुरिन्दर कौर व तलविन्दर कौर : हमने 108 दिन के गर्भावस्था अवकाश, 10 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा शिशु-सदनों की सुविधा हासिल की है। यह हमारे संगठन द्वारा किये गये संघर्ष का परिणाम। महिला उद्यमियों की होस्टेल व तबादलों आदि की अनेक मांगे हैं। इन मुद्दों पर अधिकारियों से बात-चीत चल रही है। इसी समिति के अंतर्गत आंगवाड़ी संगठन भी है। मजदूरों में से 80% को निरीक्षक के लिए चुन लिया गया है। अब सीटू के अंतर्गत कामगार महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है। हम 'कामकाजी महिला' की 600 प्रतियां बेच रहे हैं। हम तबादलों के मुद्दों को भी उठा रहे हैं।

कॉ० सुरिन्दर मिश्रा व संध्या बख्शी : हम आंगनवाड़ी, नर्सों व मध्यमवर्गीय महिलाओं को संगठित कर रहे हैं। हमें महिला उद्यमियों के लिए रिहायश की आवश्यकता है। कॉ० संध्या बख्शी ने कहा कि कोयला उद्योग

में छंटनी की समस्या है तथा कोई नई भर्ती नहीं हुई है। बिहार में बड़े पैमाने पर शारीरिक हमले व यौन छेड़-छाड़ होती है। लेकिन राज्य अथवा जिला स्तर से कोई मदद नहीं आ रही है। आंगनवाड़ी महिलाएं संगठित हो रही हैं।

तमिलनाडु से कॉ० उमा महेश्वरी : जी. ई. सी. समेत अनेक महिलाओं ने चुनावों में भाग लिया। भाजपा को कुछ समर्थन मिला है। सभी राजनैतिक पार्टियों ने प्रचार कार्य में महिलाओं का इस्तेमाल किया। सितम्बर '89 के सम्मेलन के बाद हमने राज्य समिति की दो बैठकें कीं। अक्टूबर' 90 में सेमीनार हुए। पांच जिलों ने सम्मेलन के बाद जिला सह समितियां चुनीं हैं। मुद्दों पर सीटू तथा मध्यम वर्ग के बीच उचित सहयोग आवश्यक है। सीटू अपनी बैठकों में महिला उद्यमियों के मुद्दे नहीं उठाती। उन्होंने प्रश्न किया कि महिला कर्मचारियों के लिए क्यों न अलग से समिति हो। किसी योजनाबद्ध कार्यक्रम के बिना महिलाएं मजदूर आन्दोलन में कैसे भाग ले सकती हैं। आसपास के उद्योगों में काम करने वालों के साथ व्यापक संबंध बनाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं। आंगनवाड़ी राज्य सरकार के अंतर्गत है। बी. ई. एफ. आई. का महिला निकाय बहुत सक्रिय नहीं है।

कपड़ा उद्योग में 50,000 से अधिक महिलाएं हैं। उनकी कार्य-स्थितियां बेहद खराब हैं। वेतन बहुत कम है। हमने केन्द्र के साथ उनके मुद्दे को उठाना चाहा। लेकिन राज्य सीटू ने उन्हें संगठित करने में ज्यादा रुचि नहीं ली। जहां तक 'कामकाजी महिला' का संबंध है, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगी उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण व आवश्यक हैं। इस काम के लिए एक 'होल टाइमर' की आवश्यकता है। सीटू नेतृत्व से मुद्राकोष, अवमूल्यन आदि पर सेमीनारों में भाग लेने का अनुरोध किया जाना चाहिये।

कॉ० देवी परमेश्वरी (तमिलनाडु) ने विद्युत मजदूर संघ के बारे में एक लिखित रिपोर्ट रखी।

केरल से कॉ० प्रसन्ना कुमारी केरल में किये गये चुनाव के काम के बारे में बोलीं। इकाई को तीसरे के बारे में जानकारी दी गई। राजीव हत्याकांड के बाद केरल में काम करना अत्यंत कठिन था। यदि सीटू काम शुरू नहीं करती और आपस में कोई समन्वय नहीं रहता तो केरल में कोई काम संभव नहीं हो सकेगा। महिलाओं का राजनीतिकरण केवल सीटू नेतृत्व द्वारा ही हो सकता है। डाक व तार विभाग में अपने संघर्ष के बाद हमने कुछ सफलताएं हासिल की हैं। आंगनवाड़ी में एक प्रकार का ठहराव है कोई काम देखने के लिए तैयार नहीं है।

जहां तक तीसरे कलकत्ता सम्मेलन का प्रश्न है, उसकी पूरी व्यवस्था से ऐसा आभास मिलता था कि हमारे साथ भेद भाव होता है। हम सचिव मंडल को अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं।

केरल कॉ० भानुमति : सह समिति को 40 सदस्यों में से केवल 14 उपस्थित हैं। क्यों ? सीटू इस ओर ध्यान नहीं देती ? सीटू ने तीसरे सम्मेलन के काम की समीक्षा नहीं की। सम्मेलन में महिलाओं में कोई अनुशासन नहीं था। प्रतिनिधिमंडल बहुत अच्छा था। चुनाव प्रचार के लिए जिला-स्तरीय सम्मेलन हुए थे। लोगों को मंडल आयोग की रिपोर्ट के बारे में नहीं मालूम। अब आंगनवाड़ियों को कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। सीटू द्वारा ट्रेड-यूनियन तथा संगठनात्मक कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिये। अंत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल समन्वय समिति को काम की शुरूआत करनी चाहिये।

कॉ० दीपाली बोस (दुर्गापुर) : उन्होंने कहा कि वे दुर्गापुर की रपट दे सकेंगी। दुर्गापुर में एक समिति बनी है। हम स्टील उद्योग यूनियन द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। एक लम्बे संघर्ष के बाद हमारी क्रेच की मांग मानी गयी। लेकिन महिलाओं ने बच्चे नहीं भेजे। अतः यह व्यर्थ हो गया। हमने ठेका-मजदूरों के लिए शौचालय की सुविधा हासिल की। उन्होंने चुनाव के काम के बारे में बताया।

आंध्र प्रदेश से कॉ० हेमलता : ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. द्वारा चुनाव का काम किया गया था। हैदराबाद आदि में महिलाओं ने भाग लिया। लेकिन पिछले आठ सालों में समन्वय समिति के लिए कोई काम नहीं किया गया। हैदराबाद में महिला उद्यमियों के लिए कुछ कक्षाएं हुई। मछलीपटनम एक सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न उद्योगों से 45 लोगों ने भाग लिया। सरकार क्रेच के लिए अनुदान देने को तैयार है। हम सोच रहे हैं कि क्या हमें इसे लेना चाहिए।

राजस्थान से कॉ० मधु मेठिया ने चर्चा में उठे मुद्दों का समर्थन किया। तीसरा सम्मेलन बंबई सम्मेलन के स्तर का नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में

महिलाओं ने काम किया। कुछ महिलाएं भाजपा समर्थक हैं व उन्होंने उनके लिए धन एकत्र किया। आंगनवाड़ी महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं और भविष्य में एक राज्य सम्मेलन होने वाला है। हमारी कोई समन्वय समिति नहीं है। हमने चार साल पहले एक सम्मेलन किया था जिसमें मध्यमवर्गीय महिलाओं ने भाग लिया था। अभी भी सीटू का मानना है कि समन्वय समिति का काम महिलाओं का नेतृत्व करना है, सीटू का नहीं।

चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सीटू के कोषाध्यक्ष रंजीत बसु वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में बोले। उन्होंने आम जनता पर सरकारी नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। देश की प्रभुसत्ता खतरे में है। कामगार महिलाओं को इन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए आगे आना चाहिए। वामपंथी पार्टियों ने इन नीतियों का विकल्प सुझाया है। कॉ० ज्योति बसु ने भी वैकल्पिक नीतियों के बारे में लिखा है। उसके बाद उन्होंने सीटू के कार्यक्रम के बारे में बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में सम्मेलन नहीं हुए वहां सम्मेलन होने चाहिये तथा महिला उद्यमियों के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं की जानी चाहिए—

भविष्य के कार्यक्रम :

निम्नलिखित कार्यक्रम सर्वसम्मति से तय किये गये—

1. आर्थिक मुद्दों पर सीटू व ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. के संयुक्त कार्यक्रम।

2. मुद्रा कोष से लिए गये ऋण से महिला उद्यमियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझाने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन।

3. जन 1992 के बाद दिल्ली में ट्रेड यूनियन कक्षाएं की जायें, व उनकी तैयारी केन्द्र द्वारा की जाये।

4. समन्वय समिति को सक्रिय करते हुए सदस्यता बढ़ायी जाये।

5. 21-22 अगस्त को राज्य में आंगनवाड़ी धरना। आयोजन में समन्वय समिति को मदद करनी चाहिये।

6. हमारी समिति द्वारा होस्टल क्रेच आदि की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिये।

7. सीटू द्वारा लिये गये लोन को वापस करने के लिए धन एकत्र करना चाहिये।

8. सभी राज्यों से कपड़ा उद्योगों के बारे में रपट भेजी जानी चाहिये ताकि वहां की स्थिति का अध्ययन किया जा सके। सभव हो तो भविष्य में कपड़ा उद्योग में कार्यरत महिलाओं पर एक सम्मेलन भी किया जाये।

पश्चिमबंग राज्य आई. सी. डी एस कर्मी समिति, पश्चिम बंगाल द्वारा 26 अगस्त' 91 को आयोजित जन शिष्ट मंडल पर एक रपट

संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यक्रम के अनुसार इस 26 अगस्त'91 को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के पास एक जन-शिष्ट मंडल लेकर गए। विभिन्न जिलों से लगभग 8000 मजदूरों ने इस शिष्ट मंडल में हिस्सेदारी की। हमने 15 सूत्रीय मांगें रखते हुए कहा कि यद्यपि यह केन्द्र सरकार की योजना है, लेकिन कुछ मामले राज्य सरकार से भी जुड़े हैं तथा उन्हें मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श करके सुलझाया जा सकता है, क्योंकि राज्य में वाम मोर्चा की सरकार है जो कामगार वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखती है।

मुख्य मंत्री ज्योति बसु एकत्रित लोगों को संबोधित करने के लिए आये। उन्हें ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारी बहुत काम करती हैं फिर भी इनके साथ पूर्ण कर्मचारी की तरह व्यवहार नहीं किया जाता। बदले में उन्हें मानदेय के रूप में बहुत ही कम राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि वे देखेंगे कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कुछ कर सकती है साथ ही वे केन्द्र सरकार पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं देने के लिए दबाव भी डालेंगे।

सभा की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल की भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री निरुपमा चटर्जी ने की। छाया बसु (समाज कल्याण मंत्री, प० बंगाल) ने बैठक को संबोधित किया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ की महासचिव कॉ० नीलिमा मित्रा ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया व मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय से लड़ने के लिए संगठन को मजबूत बनाने की अपील की।

उपभोक्ताओं के संदर्भ में सरकार अपना रवैया बदलें

सरला माहेश्वरी

उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में संशोधन विधेयक पर बोलते हुए 1 अगस्त को राज्यसभा में मार्क्सवादी सांसद सरला माहेश्वरी का वक्तव्य :

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय संरक्षण कानून की जब बात होती है तो लगता है कि जैसे हमारी दुखती रगों पर हाथ रख दिया गया है। आज चारों तरफ, लूट, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, जखीरेबाजी और मिलावटबाजी का साम्राज्य है। ऐसे में जब हम उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात इस सदन में बैठ कर करते हैं तो लगता है कि जैसे हम सात समुद्र पार किसी और देश की और किसी और समाज की चर्चा कर रहे हैं।

हमारे देश में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक नहीं दर्जनों कानून बने हुए हैं—इंडियन कंट्रेक्ट एक्ट, 1972, सेल्स आफ गुड्स एक्ट 1930, द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ग्रेडिंग एण्ड मार्किटिंग एक्ट 1937, एसेंशियल कमाडिटीज एक्ट 1955, मोनोपोलीज एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पालिसी एक्ट 1969, प्रिवेंशन आफ ब्लैकमार्किटिंग एण्ड मेंटेन्स आफ सप्लाई आफ एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट 1980 इत्यादि इस तरह के कई कानून बने हुए इन कानूनों के ढेर को देखकर मुझे उन पांच अंधों की कहानी याद आती है जिन पांच अंधों ने हाथी के जिस अंग को छुआ था उसी को सम्पूर्ण हाथी समझ लिया था। लेकिन वे हाथी की मुकम्मल तस्वीर नहीं बना सके थे। इन्हीं कानूनों की शृंखला में यह 1986 का उपभोक्ता कानून बना। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अप्रैल, 1985 को उपभोक्ताओं के हितों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। उस प्रस्ताव की तर्ज पर 1986 में हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया और 1987 में उसके नियम और कायदे-कानून बनाये गये। उसकी तर्ज पर राज्यों में, जिलों में और राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर आयोगों और मंचों का गठन किया।

जब यह विधेयक आया तो यह आशा की गई थी कि इस विधेयक के जरिये जो कानून बनेगा, कम से कम वह हमारे उपभोक्ताओं की मुकम्मल समझ कायम करने में मददगार होगा, क्योंकि इस विधेयक को लाते वक्त तत्कालीन खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री एच. के. एल. भगत ने बड़े-बड़े दावे किये थे और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री की चापलूसी भी कम नहीं की थी कि उन्होंने हमारे देश में वैधानिक क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रपात इस विधेयक को लाकर किया है जिसको हम एक नये युग का अवतरण कह सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जिस विधेयक के बारे में इतने बड़े दावे किये थे और श्री एच.के.एल. भगत ने जो कुछ कहा था उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगी। उनका इस विधेयक के बारे में दावा था कि यह विधेयक देश के सामाजिक, आर्थिक विधान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कदम है। उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित विषय पर किसी भी अन्य कानून को हटाने के बजाय यह व्यापक विधेयक एक योगदान है और यह विधेयक दर्शाता है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को आगे बढ़ाया जाय। श्री भगत ने इस विधेयक के बारे में यह भी कहा था कि यह विधेयक उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आवश्यक वैधानिक मंच का निर्माण करेगा। और सिर्फ मंचों का ही निर्माण नहीं करेगा। श्री भगत ने कहा था यह विधेयक सबके लिए है और किसी के खिलाफ नहीं है। उसके बाद पांच वर्षों का लम्बा समय बीत चुका है। गंगा से काफी पानी बह चुका है और अब हम इस स्थिति में हैं कि इस बात की तहकीकात कर सकें कि जिस विधेयक को लाते समय इतने बड़े-बड़े दावे किये गये थे उन दावों की असलियत क्या है। हकीकत क्या है? जिस युग के अवतरण के ख्वाहिश की गई थी, सपना उन्होंने दिखाया वह युग अवतरित हुआ या नहीं हुआ, यदि हुआ तो कितना हुआ।

जहां तक इस बात का सवाल है कि यह उपभोक्ता संरक्षण कानून अच्छी तरह काम कर सके, इसमें जो खामियां हैं उनको सुधारा जा सके, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा सवाल बिलकुल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस विधेयक को लाते समय हमारे हिन्दुस्तान के सामाजिक यथार्थ की पड़ताल की

गई थी? हमारा हिन्दुस्तान कोई यूरोपीय समाज नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं आज के ही अखबारों में आपने देखा 1971 के आंकड़े हैं कि हिन्दुस्तान में 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते थे। उसके बाद में कितने और बढ़े हैं इसके बारे में मालूम नहीं है। तो एक ऐसा जिसमें लगभग 50 प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, हिन्दुस्तान विश्व में सबसे अधिक निरक्षरों का देश है उस हिन्दुस्तान में उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात करते हैं? मैं यह जानना चाहती हूं कि आप कौन से उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात करते हैं? क्या उपभोक्ता एक संगठित इकाई हैं, होमाजीनस इकाई हैं? उपभोक्ता की एक श्रेणी वह है जो दो जून की रोटी के लिए सुबह चूल्हा जलता है तो शाम को जलेगा या नहीं जलेगा, इसके लिए दिन-रात जूझता रहता है और एक उपभोक्ता वह है जो विलासिता की चीजों के लिए भटकता रहता है। तो कौन से उपभोक्ता की बात आप कर रहे हैं? अगर हमारी सरकार का और तत्कालीन खाद्य मंत्री का ध्यान भारत की ८० फीसदी जनता की तरफ गया होता, जो उपभोक्ता गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहता है उसकी ओर ध्यान गया होता तो निश्चित रूप से इस विधेयक में हमारी गरीब जनता के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का उल्लेख होता। उसका विस्तार करने की बात, उसको मजबूत करने की बात निश्चित रूप से इस विधेयक में होती। माननीय मंत्री महोदय जब यह विधेयक लेकर आए थे उनके जेहन में इस तरह की कोई बात काम नहीं कर रही थी।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की तर्ज पर यह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लाया गया था, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में जो लक्ष्य रखे गये हैं उनमें एक यह भी था—

"To facilitate production and distribution pattern responsive to the needs and desires of the consumer."

उपसभाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में यह नीति निर्देश प्रस्ताव का लक्ष्य है लेकिन हमारे यहां जो विधेयक लाया गया उसमें इस प्रस्ताव के अन्य लक्ष्यों को तो घुमा-फिरा कर शामिल किया गया है लेकिन इसी एक लक्ष्य को छोड़ दिया गया। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे समाज में उन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, जो हमारे देश की आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी अहमियत है।

इसके लिए मैं सिर्फ आपके सामने चंद तथ्य रखना चाहूंगी। महोदय, वामपंथी पार्टियां लम्बे अर्से से इस बात की मांग करती आ रही है कि रोजमर्रा की 14 आवश्यक चीजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे के अन्दर लाना चाहिए। हमारा समाज एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। अगर हम अपनी व्यापक जनता के जीवन स्तर को थोड़ा-सा भी बनाये रखना चाहते हैं तो इसके लिए एकमात्र यही गारंटी हो सकती है हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें।

हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण हमारे सामने आया है उस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में एक तालिका दी गयी है। उस तालिका को आप देखें तो यह पाएंगे कि हमारे मजदूर, हमारे आम आदमी की आमदनी का अधिकांश भाग सिर्फ खाद्यान्नों के क्रय में लग जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1989-90 में जो वृद्धि हुई उस वृद्धि में अकेले खाद्य पदार्थों का भाग 46.6 प्रतिशत है और 1990-91 में बढ़कर यह 68.9 प्रतिशत हो गया। अब आप कल्पना करिये के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली यह वृद्धि अकेले खाद्य पदार्थों की है जिनका अनुपात इतना बढ़ गया है। ऐसे में हमारे आम उपभोक्ता की हालत क्या होगी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया का हाल में जो बुलेटिन जून 1991 में प्रकाशित हुआ है उसमें यह कहा गया है कि 1990 की जनवरी के अंत से लेकर 1991 की जनवरी में अकेले खाद्य पदार्थों की कीमतों में 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों की कीमतें 39.7 प्रतिशत बढ़ी, सरसों के तेल के दामों में 71.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से रोजमर्रा की तमाम जरूरी सामग्रियों में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उनके बारे में रिजर्व बैंक और आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1990-91 में मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता का मुख्य कारण यह है कि खाद्यान्न, सब्जियों, दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रही है और यह वृद्धि पिछले तीन वर्षों से सन्तोषजनक मानसून के बावजूद भी जारी रही है। इस-

लिए सवाल यह है कि हम कौन से उपभोक्ता संरक्षण की बात कर रहे हैं।

महोदय, अगर समाज में हम एक इलिटिस्ट रवैया लेकर चलते हैं, कुलीनतावादी रवैया लेकर चलते हैं तो हम अपने व्यापक उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं दे सकते हैं। यह कानून जिस तरह से काम कर रहा था, इसके तहत बनाये गए मंच और आयोग जिस तरह से काम कर रहे थे उसके विषय में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष श्री इराडी ने इशारा किया है। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि किस प्रकार से जिला स्तर पर बनाये हुए फोरम, राष्ट्रीय स्तर पर बनाये हुए आयोग, राज्य स्तर पर बनाये हुए आयोग, ये तमाम आयोग, मंच और परिषदें बिलकुल निष्प्रभावी साबित हुई है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आयोग बना हुआ था उसके चार सदस्य होते हैं कानून के अनुसार, सुप्रीमकोर्ट का एक जज, निवर्तमान हो या वर्तमान हो, इसके अलावा और तीन सदस्य जिनमें एक सदस्य महिला सामाजिक कार्यकर्त्री होती है। इसके दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, वे सेवा निवृत हो गए, इसके बाद एक और सेवा निवृत हो गया, इसके बाद तीन सदस्यों की फिर से नियुक्ति नहीं की जा सकी, इसलिए यह पंगु बन गया है। इसी तरह का उदाहरण दिल्ली मच के बारे में मिलता है। तीन सदस्य थे, दो सदस्य सेवा निवृत हो गए, बचा एक सदस्य, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्त्री, वह कोई काम नहीं कर पाई। उस मंच के पास 2500 के करीब केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिला स्तर पर बने हुए तमाम आयोग निष्प्रभावी साबित हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आयोग ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया कि जब तक चारों सदस्य एक साथ हस्ताक्षर नहीं करते किसी फैसले पर तो यह फैसला अमान्य होगा।

इससे हालत यह हुई कि इससे पहले राज्य आयोग ने तथा जिला मंचों ने जो फैसले सुनाये थे, उसमें सभी सदस्य उपस्थित नहीं थे और यह संभव भी नहीं कि एक साथ सभी सदस्य उपस्थित हों। तो अब तक जितने फैसले सुनाये गए थे, वह सारे के सारे निरस्त तो हो गए। इन पाँच वर्षों में जो कुछ किया-कराया, वह किया-कराया भी फालतू साबित हो गया।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, सवाल यह है कि हमारे यह आयोग, हमारे यह मच, जिनको हमने व्यापक जनता को संरक्षण देने के लिए बनाया है, क्या यह वास्तव में काम कर रहे हैं और अगर काम कर रहे हैं, तो वह किस हद तक काम कर रहे हैं?

इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि मैंने जो संशोधन पेश किया है, वह संशोधन इस मूल बात को रेखांकित करता है अगर हम, हमारी सरकार और यह सदन भारत कि व्यापक उपभोक्ताओं के प्रति थोड़ी-सी भी जिम्मेदारी का बोध करता है, अगर जनता के प्रति वह प्रतिबद्ध है, जनता की जरूरतों के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारा यह दायित्व बनता है कि हम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत करें। इस वितरण व्यवस्था को मजबूत किये बिना हम उपभोक्ताओं के संरक्षण के कितने ही बड़े-बड़े दावे करें, लेकिन वह तमाम दावे खोखले साबित हो जायेंगे।

इसके साथ ही मैं यहाँ एक और बात पर बल देना चाहती हूँ। इस बात की जरूरत है—होता क्या है कि आये दिन हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी दुकानों पर सड़े हुए अनाज की बिक्री होती है। यह रोजमर्रा की घटना है। अभी हाल में इस तरह के तथ्य प्रकाशित हुए, सरकार की नजर में आए, सरकार ने एफ. सी. आई. पर जाँच कमेटी भी बिठाई और जो जाँच कमेटी बनी, उसने यह सिफारिश की कि यह तो सड़ा हुआ अनाज है, इसको इंसानों के बीच में नहीं बाँटा जाए। इसको दूसरे रंग में रंग दिया जाए, ताकि यह मवेशियों के तो काम में आ सके, लेकिन इन्सानों के काम में न आए।

उस सिफारिश पर कितना अमल हुआ, यह तो सरकार के अफसर ही जानते होंगे, या हम लोग जो रोज वह मिलावटी आटा जो राशन की दुकान में मिलता है और हम खाते हैं। वह अच्छी तरह से जान सकते हैं।

तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे समचे उपभोक्ता समाज के संरक्षण के लिए एक कुलीनवादी नजरिये से काम नहीं चल सकता, एक इलीटिस्ट नजरिये से काम नहीं चल सकता। अगर हमने अपने समाज की वास्तव में पड़ताल करनी है, अगर हमें उस 80 फीसदी उपभोक्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ख्याल है, तो निश्चित रूप से हमें इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना होगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे को और बढ़ाना होगा।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगी कि जो मेरा संशोधन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रोजमर्रा की चौदह जरूरी सामग्री, मसलन, खाद्यान्न,

चीनी, तेल, नमक, माचिस, सस्ता कपड़ा, दालें, चाय, बच्चों का दूध, धुलाई का साबुन, कोयला और केरोसिन की तरह का ईंधन, कागज, सीमेंट और दवाईयों की उचित दाम पर अपूर्ति करनी पड़ेगी।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं समझती हूँ कि यह सब से महत्वपूर्ण काम है, लेकिन हमारी सरकार आज जिन नीतियों पर चल रही है, आज जिस नई औद्योगिक नीति की हम बात कर रहे हैं, आज जिस तरह से विश्व बैंक, आई. एम. एफ. के इशारों पर हमारी अर्थ नीति को निर्देशित किये जाने की कोशिश हो रही है, उससे निश्चित रूप से हमारा उपभोक्ता सबसे ज्यादा संकट में घिर गया है। वह उपभोक्ता अपने जीवनमान को बनाये रख सकेगा या नहीं। यह प्रश्न आ खड़ा हुआ है।

इस विधेयक में और भी त्रुटियां हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको संशोधित किया जाए। एम. आर. टी. पी. एक्ट के तहत तो यह सुविधा है कि जो शिकायत लेकर जाता है, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यही सुविधा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में नहीं है। आप देखेंगे कि आजकल पैकेट में सामग्रियां मिलती हैं और उन पैकेटस के ऊपर लिखा रहता है—कीमत के साथ एक पुछल्ला जोड़ दिया जाता है कि स्थानीय कर अतिरिक्त, और इस "स्थानीय कर अतिरिक्त" के नाम पर हमारे ग्राहक 10-15 प्रतिशत पैसा अतिरिक्त वसूल कर लिया जाता है।

अब वह हमारा ग्राहक कहां जाए, कहां पड़ताल करे कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसकी कोई गुंजाइश वहां नहीं है। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह चाहती हूँ कि हमारे मंत्री महोदय, जो यहां बैठे हुए हैं इस उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के बारे में सिर्फ यह सरकारी संशोधन ही न स्वीकार करें बल्कि वह संशोधन जो मैंने रखा है, मैं पूरे सदन से यह अपील करना चाहूंगी कि यह हमारा पूरा सदन इस संशोधन को स्वीकार करे, क्योंकि तभी हम अपनी जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को, हमारी गरीब मेहनतकश जनता के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर सकेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, कल जब माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे तो चेयर पर बैठे हुए उपसभाध्यक्ष महोदय श्री शंकर दयाल सिंह जी कह रहे थे कि मंत्री महोदय का मेडन स्पीच है इसलिए मेडन स्पीच को टोका-टाकी नहीं चलेगी। यह हमारे सदन की परंपरा है। अच्छी बात है कि अगर मेडन स्पीच है तो टोका-टाकी न की जाए, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, सवाल मेडन स्पीच का नहीं था सवाल हमारी जनता के व्यापक हितों से जुड़ा हुआ था, उसकी जिन्दगी से जुड़ा हुआ था, उसकी जिन्दगी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे वाल्टर स्काट की कविता की यह पंक्ति याद आ गई:

"We shall be the maiden's fate who shall be the maiden's mate"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि भारत की जनता इनका कहां तक साथ देगी इस विधेयक के जरिए, अगर वह व्यापक 80 फीसदी जनता के हितों को कोई संरक्षण नहीं दे पाते तो आपका साथ तो शायद ही कोई दे पाए, यह सदन कितना दे मैं नहीं जानती।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रस्तावना के साथ, कल ही प्रेमचंद की जयन्ती मनाई गई, जो बात प्रेमचद ने साहित्य के संदर्भ में की थी कि हमें सौंदर्य के मानदंडों को बदलना होगा और मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि हमें उपभोक्ताओं के संदर्भ में अपने मानदंडों को बदलना होगा। अगर उपभोक्ताओं के संदर्भ में हम अपने मानदंडों को नहीं बदलेंगे तो उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय इस तरह के कितने ही विधेयक लेकर आएं और कितने ही विधेयक पास हो जायेंगे, लेकिन हमारी गरीब जनता का जीवन जहां है वहीं बना रहेगा। उसकी जिन्दगी और उसका अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को इसी प्रस्तावना के साथ खत्म करती हूं उपभोक्ताओं के संदर्भ में अपने मानदंडों को बदलें और गरीब मेहनतकश अवाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करें। अगर वह ऐसा दावा करते हैं कि हमारी सरकार गरीब जनता के प्रतिबद्ध है तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगी कि हमारे मंत्री महोदय अपने सरकारी संशोधन के साथ-साथ मेरे द्वारा इस संशोधन को भी उस विधेयक में स्वीकृति दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।

सरला माहेश्वरी द्वारा प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक 1991 में संशोधन पर प्रस्ताव।

महिला जनसंख्या एव सामाजिक असमानता

कुसुम मिश्रा

पिछले सौ साल के दौरान कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसख्या में निरन्तर गिरावट आती रही। 1981 की जनगणना में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अनुपात में कुछ सुधार आता दिखाई दिया था किन्तु 1991 की जनगणना के नतीजों ने उन पर पानी फेर दिया है। भारत में स्त्री-पुरुष अनुपात विश्व में सबसे कम अनुपातों में है एक हजार पुरुषों के अनुपात में 929 स्त्रियां। भारत में महिलाओं को स्थिति से संबंधित कमेटी ने आबादी में महिलाओं के घटते हुए हिस्से को समाज की गिरती हुई हैसियत की जटिल प्रक्रिया का परिणाम कहा है। कमेटी के अनुसार परिवार में, अर्थव्यवस्था में, समुदाय में तथा राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं को हाशिये पर ढकेले जाने से महिलाओं के मध्य दरिद्रता, भुखमरी और करीब-करीब सभी आयु वर्ग की महिलाओं में मृत्युदर में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। यू. एन. ओ. की बाल परामर्शदात्री डा. शांति घोष ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सन् 1984 में लगभग 10 हजार बच्चों के जन्म का सर्वेक्षण किया था इनमें 5263 लड़के और 5115 लड़कियां पैदा हुई। डा. घोष का कहना है जन्म के समय लड़कियां ज्यादा स्वस्थ थी लेकिन सामाजिक भेदभाव पर आधारित कुपोषण के कारण 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में मृत्युदर काफी ऊची रही।

पुरुष और स्त्री की औसत आयु भी बराबरी की दर से नहीं बढ़ी है। 1911 में जन्म के समय पुरुष के औसतन 22.6 वर्ष जीने की आशा होती थी और स्त्री के औसतन 23.30 वर्ष। इसके पचास वर्ष बाद 1969 में आंकड़े बदल कर पुरुषों के लिए 46.4 वर्ष और महिलाओं के लिए 44.7 वर्ष। भारत एकमात्र देश है जहां पुरुष की औसत आयु स्त्री की तुलना में अधिक है। और जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है स्त्री पुरुष अनुपात भी यहां विश्व के सबसे कम अनुपातों में है। 1000 पुरुषों की तुलना में 929 स्त्रियां। नारी के प्रति अन्याय लड़की के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। इस अन्याय का एक पुख्ता उदाहरण वह टेस्ट है जो बच्चे के पैदा होने से बहुत पहले यह बता देता है कि मां के पेट में लड़की है या लड़का और लड़की से मुक्ति के लिए बड़े आराम से गर्भपात कराया जा सकता है। बंबई में सेक्स निर्धारण परीक्षण के बाद गर्भपात कराये गये हैं ऐसे 8000 एबार्शनों में 7999 लड़कियों के हा है। यह भेदभाव जन्म के पूर्व से शुरू होकर लगातार जारी रहता है। कुछ वक्त पहले तक तो पिता की संपत्ति में बेटी का कोई अधिकार नहीं था और अब भी जबकि कानून बन चुका है कितनी बेटियां हैं जो भाईयों से संबंध बिगाड़कर पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने का साहस कर सकती हैं। कानून बनाना एक बात है रीति रिवाज बदलना दूसरी। कमोवेश यही बात नारी सदर्भ से जुड़े दूसरे कानूनों जैसे विधवा विवाह, दहेज, तलाक आदि पर लागू होती है। हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शासक वर्ग ने नारी भक्षक सामतवाद और धार्मिक कट्टरपंथियों के साथ समझौता परस्त नीति अपनाया और कानूनों का निर्माण तथा उनका उपयोग नारियों के हितों के लिए कम, नारी को शोषित करने के लिए अधिक किया। इसके चलते एक ओर तो रूपकुंअर जलती है और न तो संविधान और न कानून उसे बचा पाता है, दहेज लिया भी जाता है और दिया भी जाता है और कानून सोता रहता है, बाल विवाह गाँवों में ही नहीं शहरों में भी होते हैं और ठीक कानून के रखवालों के नाक के नीचे होते हैं, दूसरी ओर शाहबानों जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया था पूरी जिन्दगी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में लड़कर अपने पति से गुजारा भत्ते का अधिकार पाती है। और इस तरह मुस्लिम महिलाओं के लिए समानता और न्याय का रास्ता प्रशस्त करती है और आजाद भारत की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सरकार कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेककर ऐसा कानून बनाती है जो न केवल शाहबानों के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिये हासिल किये गये अधिकार को नकारता है वरन् मुस्लिम महिलाओं को 16वीं शताब्दी के दमन, उत्पीड़न और शोषण की आग में झोंक देता है। यह है हमारे देश के पूंजीवादी सामंती नारी पुरुष समानता जिसमें देश के कानून और

संविधान का प्रयोग नारी को धर्म के नाम पर पुरुषों की दासी बनाने के लिए किया जाता है। आज पूरे देश के पैमाने पर बलात्कार की घटनाओं का लगातार बढ़ता हुआ प्रतिशत इस समाज व्यवस्था के अन्दर नारी की स्वतन्त्रता पर एक प्रश्नचिन्ह के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। भारत में 1975 से 1983 के दौरान दर्ज किये गये बलात्कार से संबंधित अपराधों की संख्या इस प्रकार है 3376 (1975) में, 3393 (1976) में, 4058 (1977) में, 4558 (1978), 4300 (1979) 4900 (1980), 5201 (1981), 5943 (1982), 4546 (1983), सन् 1985 में देश के 22 राज्यों में 6189 मामले पुलिस रेकार्ड में दर्ज कराये गये। एक विज्ञप्ति के आधार पर मात्र उत्तर प्रदेश में ही यह संख्या मई 1990 में पहुच गयी थी। हरिजन बालाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाओं का प्रतिशत 6% से बढ़कर 12.7% हो गया है। नारी को महिमा मंडित कर परतंत्रता के बंधनों में जकड़ने की सामंती साजिश आज भी मौजूद है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर भयाक्रांत कर सतीप्रथा के समर्थन में भी नारियों के ही जुलूस निकाले जाते हैं। नारियों के लिए समानता का ढोल पीटने वाले सामंती, तत्ववादी ठेकेदारों की पोल खोलने के अनेकों उदाहरण यहां दिये जा सकते है पर रिपोर्ट के और अधिक विस्तृत हो जाने के भय से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिये देशव्यापी पैमाने पर धर्म आधारित राजनीति का विकसित होना इनके द्वारा भड़कायी गई हिंसा में हजारों मजदूरों महिलाओं व बच्चों की जानें जाना यह महिलाओं के आन्दोलन को बिखेरने का वर्गीय आधार पर कायम हुई एकता को तोड़ने का ही प्रयास है। ऐसी ताकतें महिलाओं के व मजदूर वर्ग के ऐतिहासिक आन्दोलनों को कमजोर करने का ही काम करती है। हमें इस सामाजिक यथार्थ की रोशनी में ही अपने देश की महिलाओं की स्थिति का गहराई से विश्लेषण करना होगा क्योंकि ऐसा करके ही हम उस रास्ते की तलाश कर सकते हैं जिसमें शोषण विहीन नारी भी स्वतंत्र होकर सामाजिक निर्माण में बराबरी की हिस्सेदारी करेगी।

अब आंगनवाड़ी का भी निजीकरण

अल्पमत कांग्रेसी सरकार की स्टील, कोयला, बैंक व अन्य उद्योगों के निजीकरण की औद्योगिक नीति की अब घोषणा कर चुकी है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बेचारी आंगनवाड़ी की महिलाएं भी इस नीति का शिकार होंगी। गुजरात ट्रेड यूनियन में कार्यरत कुछ कॉमरेडों के माध्यम से पता चला है कि गुजरात की लगभग 3000 आंगनवाड़ी इकाइयां निजी हाथों में सौंपने के लिए चुन ली गयी हैं। रपट के अनुसार मध्य प्रदेश में भी अब यही नीति अपनायी जा रही है। बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने, टीके लगाने तथा परिवार नियोजन आदि का काम भी अब निजी संस्थाएं करेंगी।

भ्रष्टाचार, छेड़-छाड़, सामान की चोरी जैसी घटनाओं के रूप में उपर्युक्त नीति का आरंभ हो ही चुका है। 5-6 महिनों से महिला कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिल रहा है। गर्भावस्था लाभ आदि की तो बात ही छोड़िये, उन्हें यात्रा भत्ता भी नहीं मिल रहा है।

जब फेडरेशन के सदस्य सह सचिव मीनाक्षी चौधरी से मिले व उनसे निजीकरण के खतरे के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यदि राम कृष्ण मिशन जैसी कोई अच्छी संस्था इसे अपने हाथ में ले लेती है तो हर्ज क्या है। लेकिन दुर्भाग्यवश आंगनवाड़ी महिलाओं के प्रति ऐसा दृष्टिकोण सब संस्थाओं का नहीं है। इसके विपरीत महिलाओं का विचार है कि यदि परियोजना के लिए सरकार किसी ठेकेदार या ट्रस्ट को धन देगी तो उन पर होने वाली ज्यादतियां कई गुना बढ़ जायेंगी, और धन-राशि का एक बड़ा हिस्सा ठेकेदारों की जेबों में जायेगा। फरवरी' 81 में चार महिलाओं को इस लिए निलम्बित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने बच्चों को बीती हुई अवधि का दूध देने से इंकार कर दिया था। यात्रा भत्ता कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता। उसे बीच में ही सी. डी. पी. ओ. व बिचौलियों द्वारा हड़प कर लिया जाता है। परियोजना को निजी हाथों में सौंप देने से सभी प्रकार का कुप्रशासन बढ़ जायेगा। आंगनवाड़ी में सक्रिय सभी फेडरेशनें इस नीति का विरोध कर रही हैं। गुजरात समिति इस योजना के विरुद्ध एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। संयुक्त संघर्ष समिति को 2 -22 अगस्त के राज्यव्यापी धरनों में सरकार की निजीकरण की नीति के विरुद्ध आवाज उठायेगी, इसके बजाय सरकार को देखना चाहिए कि उनके साथ अन्याय न हो व उनकी मानदेय राशि बढ़ानी चाहिये। दरअसल आंगनवाड़ी परियोजना के साथ एक महिला संगठन अवश्य होना चाहिये ताकि, उन्हें एक हद तक न्याय मिल सके।

महाराष्ट्र आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की बैठक

किरण मोघे (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्र से 30 सदस्यों ने उदयपुर में सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन की कार्रवाइयों व सीटू द्वारा किये गये सहयोग का सदस्यों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यों में एक नया जोश था।

संगठन : चूंकि जिले में कोई राज्य सम्मेलन नहीं हुआ है अतः कॉ० अहिल्या रांगनेकर की अध्यक्षता में एक ऐडांक तैयारी समिति गठित की गयी। इसकी संयोजक किरन मोघे बनी, व विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि भी शामिल थे। मई 1991 में पुणे में राज्य सम्मेलन करने का फैसला किया गया था लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण इसे टाल देना पड़ा।

जहां एक ओर सभी जिलों में संगठन को मजबूत करने के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं अन्य आंगनवाड़ी यूनियनों की वजह से दिक्कत हो रही है। शुरूआती सपर्क न होना एक अन्य समस्या है। बहरहाल हम एक प्रक्रिया को आरंभ करने में सफल हो सके हैं तथा आशा है कि भविष्य में राज्य भर में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार हो सकेगा।

सदस्यता-पर्चियां छपवाकर सभी जिलों को भेज दी गयी हैं तथा उम्मीद है कि अक्टूबर 1991 तक सदस्यता का काम समाप्त हो जा जायेगा व आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे।

दिल्ली मोर्चा : 4 मार्च' 91 :—

महाराष्ट्र से लगभग 1000 महिलाओं ने मोर्चे में भाग लिया। ज्ञातव्य है महिलाओं की एक बड़ी संख्या एच. एम. एस., एटक व लाल निशान ग्रुप द्वारा इकट्ठी की गयी थी। बहरहाल, यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि यदि हम आगे नहीं आये और हमने महिलाओं में बढ़ती हुई जागरूकता का लाभ नहीं उठाया तो हम राज्य में मजबूत संगठन कायम नहीं कर सकेंगे।

चुनाव' 91 :—

एक संगठन के रूप में हमने चुनावों में जनता से रा. मो.-वा. मो. को मत देने का आग्रह किया तथा इस की ओर ध्यान दिलाया कि केवल यही गठबधन आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों को पूरा करेगा।

4 मार्च के दिल्ली मोर्चे के अगले ही दिन चन्द्रशेखर सरकार के पतन का कुछ सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। चुनावों के बारे में आम धारणा तथा तत्कालीन राजनैतिक माहौल के कारण उत्साहहीनता सी पैदा हो गयी थी। लेकिन चुनाव के बाद पुनः उत्साह का संचार हुआ था, जैसा कि बैठक में परिलक्षित हुआ।

10 जुलाई' 91 को अखिल भारतीय मांगदिवस के रूप मे मनाया गया। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया तथा स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया गया। संयुक्त संघर्ष समिति तथा महिला व बाल कल्याण राज्य मंत्री, ममता बनर्जी, के बीच हुई बैठक की भी जानकारी दी गयी।

22 अगस्त' 91 का धरना :—

हम बम्बई में एक धरना आयोजित करने का विचार रखती हैं। तथा सभी जिलों से लोगों को लाने की आशा है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें अन्य संगठन भी भाग लेंगे या नहीं।

दिल्ली मोर्चा के लिए फंड :—

दिल्ली मोर्चा के खर्चे को पूरा करने के लिए सभी सदस्यों से एक-एक रुपया इकट्ठा करने को कहा गया है। जैसे धन एकत्र हुआ, हम भेज देंगे।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

पंजाब में कामगार महिलाओं का सम्मेलन

नैना देवी, पंजाब

13 अगस्त को लुधियाना में छतर पार्क में पंजाब का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें 10 जिलों से 263 सदस्यों ने भाग लिया जो 24 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते थे।

सम्मेलन की अध्यक्षता नैना देवी व पांच अन्य लोगों ने की। पंजाब सीटू के महासचिव चन्द्रशेखर ने कामगार महिलाओं व मूल्य वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने एक समन्वय समिति के गठन का भी प्रस्ताव रखा जो राज्य में महिला आन्दोलन का प्रचार व नेतृत्व करे।

सुरिन्दर कौर व सुरिन्दर कौर गिल ने सम्मेलन का अभिनन्दन किया तथा समन्वय समिति के गठन के बाद राज्य में महिला कर्मचारियों की सफलताओं के बारे में बताया।

राज्य सीटू के उपाध्यक्ष कॉ० मंगत राम पासला ने भी सम्मेलन का अभिनन्दन किया। उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए महिलाओं की अत्यंत दयनीय कार्य-स्थितियों के बारे में बताया व उन्हें बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। 'आइडवा' की राज्य सचिव राजिन्दर कौर चौका ने भी सम्मेलन का अभिनंदन किया।

अनेक सदस्यों ने अपनी खराब कार्यस्थितियों तथा अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने के बारे में बताया। मांगों पर अनेक सुझाव दिये गये। ईंट-भट्ठा उद्योग की महिलाओं ने; जो अधिकतर समाज के दबे-कुचले वर्ग से हैं; अपनी समस्याओं तथा उनके खिलाफ अपने शानदार संघर्ष के बारे में बताया। लगभग सभी सीटू द्वारा की गयी उनकी सहायता की तथा अपनी समस्याओं पर और जोर देने का आग्रह किया।

अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की सचिव विमल रणदिवे ने कामगार महिलाओं की सराहना की जिन्होंने हर तरह के बलिदान देकर विकट से विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष करके सीटू की प्रतिष्ठा बढ़ाई। वे हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले भेद-भाव के बारे में विस्तार से बोलीं। उन्होंने सांप्रदायिकता तथा सरकार की बुर्जुआ आर्थिक नीतियों के रूप में देश के सामने गंभीर संकट के बारे में बताया। उन्होंने महिलाओं से आगे आकर अपनी मांगों के साथ ही साथ इन नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया।

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से प्रस्तावों को पास किया तथा एक पन्द्रह सदस्यीय समन्वय समिति चुनी जिसकी संयोजक नैना देवी होंगी। 19 से 26 अगस्त तक मांगों का प्रचार करने तथा जिला स्तर पर भी समन्वय समिति गठित करने का फैसला किया गया।

बिहार में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का धरना

शांति मिश्रा, सिकन्दरा, (बिहार)

संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी की लगभग 400 महिलाओं ने 21·22 अगस्त 1991 को पटना में 12 घण्टे का धरना दिया। तेज गर्मी के बावजूद अनेक महिलाएं बच्चों को गोद में लिए हुए धरने में बैठी थीं। आंगनवाड़ी महिलाओं की जोरदार मांग ने कल्याण मंत्री को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वे नीचे आयें, जहां बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका व कर्मचारी संघ की महासचिव शांति मिश्रा ने उन्हें आठ सूत्रीय मांग-पत्र दिया। मांग-पत्र में उन्हें नियमित करने व निरीक्षक स्तर पर तरक्की देने की मांग शामिल थी। धरना पूर्णतः अनुशासित था झंडों के कारण आकर्षक लग रहा था। वक्ताओं ने कॉ० मालिनी भट्टाचार्य, कॉ० सुशीला गोपालन द्वारा आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों को जल्द से जल्द मांगें जाने के लिए संसद में दिये गये भाषणों का उल्लेख किया।

तमिलनाडु चुनावों में महिलाओं की भागेदारी

मैथिली शिवरामन

इस वर्ष के आरंभ में डी. एम. के. सरकार को बर्खास्त किये जाने के बाद से ही तमिलनाडु में झगड़े व टकराव की घटनाएं बहुत अधिक घटी हैं। तमिलनाडु में हुए बम विस्फोट में राजीव गांधी की हत्या के बाद ए. आई. ए. डी. एम. के.—कांग्रेस (ई) को राष्ट्रीय वाम मोर्चा पर हमले करने का बहाना मिल गया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मचायी गयी लूट के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हमें ऐसी परिस्थितियों में वहां चुनावों में महिलाओं की भूमिका पर विचार करना है।

इसके पहले राज्य में अलोकतांत्रिक ढंग से राज्य सरकार को बर्खास्त किये जाने के विरुद्ध महिलाओं ने भी संघर्ष किया था। तमिलनाडु 'एडवा' ने इस बर्खास्तगी तथा मूल्य-वृद्धि व खाड़ी युद्ध का विरोध करने के लिए राज्य में 18 फरवरी से राज्यव्यापी भूख हड़ताल का कार्यक्रम चलाया था। इस सबकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कामगार वर्ग की महिलाओं ने नाममात्र की औपचारिक शिक्षा के साथ संविधान के अनुच्छेद 356, तेल की राजनीति जैसे मामलों पर बात की। इससे श्रोता प्रभावित हुए।

ए. आई. डी. डब्ल्यू. ए. तथा डब्ल्यू. डब्ल्यू. सी. सी. ने अपने अखिल भारतीय केन्द्र की अपील पर तमिलनाडु में राष्ट्रीय-वाम-मोर्चा का सक्रिय समर्थन किया तथा विरोधी पार्टियों द्वारा चलाये जा रहे झूठे प्रचार व गलत सूचनाओं का विरोध करते हुए धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक न्याय के पक्ष में प्रचार किया। चुनावों से काफी पहले 'एडवा' ने चार केन्द्रों में कक्षाएं आयोजित की जिनसे उसने अपने कार्यकर्ताओं को देश के सामने मौजूद परिस्थितियों के बारे में समझाया व उनके समाधानों के बारे में भी बताया। इन योजनाबद्ध प्रयासों का ही नतीजा था कि राज्य में महिलाएं आगे आयीं व उन्होंने ज्वलंत व महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुलझे हुए विचार रखकर लोगों की प्रशंसा हासिल की।

महिलाएं फंड एकत्र करने, घर-घर प्रचार करने, नुक्कड़ सभायें व जन सभायें करने में तो आगे थीं ही उन्होंने बूथ एजेंट का काम भी सम्भाला। लेकिन इस सबके कारण महिलाओं को लम्बे समय तक घर से बाहर रहना पड़ता था, लम्बी छुट्टी लेनी पड़ी व देर रात घर पहुंचने के कारण परिवारजनों को नाराज करना पड़ा। अधिकतर मामलों में जिन महिलाओं ने काम किया उनके पतियों की भी वैसी ही राजनीतिक मान्यताएं थीं। लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा नहीं भी था। अधिकतर महिलाओं ने ऐसी परिस्थिति में न केवल राजनीतिक विचारों की आजादी बल्कि संघर्ष के अधिकार पर भी बल दिया।

चुनावी राजनीति का अपराधीकरण अब एक जानी-मानी बात हो गयी है। इसके अलावा हमारी महिला साथियों को सरकार समर्थित अत्याचार का भी सामना करना पड़ता था। 21 मई की रात से ही कांग्रेस व ए. आई. ए. डी. एम. के. के गुण्डों ने विरोधी पार्टियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया जिससे पार्टी के दफ्तर तथा कार्यकर्ताओं के घरों को काफी नुकसान पहुंचा। इन पार्टियों की महिला सदस्याएं; जिन्होंने सतत प्रचार किया था विशेष रूप से निशाना बनीं। 'एडवा' द्वारा सरकार को दिये गये एक ज्ञापन के अनुसार " उनके घरों पर हमले के अतिरिक्त महिलाओं पर कई तरह से हमले किये गये। उन्हें गन्दी गालियां दी गयीं छेड़खानी व परेशान किये जाने के अतिरिक्त घर की युवतियों के बलात्कार की धमकी भी दी गयी। इस जघन्य हमलों में उनके पड़ोसियों, मित्रों व बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। महोदय, हमारे विचार से ये हमले महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के उनके मूलभूत अधिकार से वंचित करने का प्रयास है। चूंकि पहले ही महिलाएं राजनीति में बहुत कम भागेदारी करती हैं अतः, ऐसे प्रयासों से वे राजनीति से बिल्कुल अलग हो जायेंगीं। हमलावरों के खतरे और कहीं से सुरक्षा न मिलने के कारण वे अपनी औपचारिक शिकायतें भी दर्ज नहीं करा सकी हैं।"

महिलाओं ने इन हमलों का हिम्मत से सामना किया व उनमे से कुछ को गंभीर चोटें आयीं। 'एडवा' की मद्रास जिला समिति की अध्यक्ष, 80 वर्षीय रुक्मणि अमाल को धमकी दी गयी कि वे बिल्डिंग से बाहर आ जायें क्योंकि

बिल्डिंग को आग लगायी जा रही है। उन्होंने जवाब दिया कि "मैं बिल्डिंग से बाहर नहीं आऊंगी। यदि तुम इमारत को आग लगाते हो तो मुझे भी जला दो···।"

मद्रास की एक अन्य 'एडवा' कार्यकर्ता विजया पर भी उनके घर में हमला किया गया। घर के बर्तनों को तोड़ दिया गया। सोने की चेन छीन ली गयी तथा उनके शरीर पर तेज ब्लेड से कई घाव कर दिये गये, इस घटनाक्रम के बाद उसकी टिप्पणी थी कि "मुझे मृत्यु का भय नहीं था। मेरे पति पार्टी व महिला संघ को पसन्द नहीं करते। मुझे डर था कि उन्हें उनपर दोषारोपण करने का मौका न मिले।"

ऐसे बर्बर अत्याचारों तथा उनके शानदार विरोध के अनेक उदाहण हैं जो यहां स्थान कम होने के कारण नहीं दिये जा सकते। इनमें से अधिकतर महिलाएं पुनः चुनाव प्रचार आरंभ होने पर फिर उसमें शमिल हुईं। ये लोग अपने जीवन का खतरा ही नहीं ले रही थीं बल्कि अपनी पुत्रियों के लिए भी खतरा ले रही थीं जिनके बलात्कार की धमकियां दी गयीं थीं।

चुनाव परिणामों से साबित हो गया है कि जनता राजीव गांधी की जघन्य हत्या का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। लेकिन इससे हमारी महिला कार्यकर्ता निराश नहीं हुई हैं। बल्कि इन परिणामों से उन्हें यह शिक्षा मिली है कि आम जनता को शिक्षित करने व उनकी राजनीतिक जागरुकता बढ़ाने की प्रक्रिया बेहद लम्बी व मुश्किलों से भरी हुई है। इससे उनकी लगन व शक्तिशाली ढंग से काम करने का उत्साह और बढ़ गया है।

विभिन्न महिला संगठनों द्वारा त्रिपुरा में हुए अत्याचार के बारे में प्रधान मंत्री को दिया गया ज्ञापन

प्रति—

प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नयी दिल्ली,

प्रिय श्री प्रधानमंत्री जी,

हम आपकी जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए त्रिपुरा की घटनाओं पर 'तथ्य खोजी समिति' की रपट भेज रहे हैं, जिसमें एक गैर राजनीतिक शोध संगठन के प्रतिनिधि, वकील, सांसद, 'आइडवा' की नेता शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ व महिला दक्षता समिति की रपट भी शामिल हैं जो अक्टूबर' 90 तक महिलाओं पर हुए अत्याचार के बारे में है। यह रिपोर्ट नवंबर 1990 में राष्ट्रपति को दी गयी थी तथा जनवरी 1991 में आपके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री को भी दी गयी थी।

अफसोस की बात है कि इन तथ्यों तथा हमारी अपील का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

हमें हाल ही में त्रिपुरा में अपनी साथियों पर और अत्याचार की खबरें मिली हैं। हम आपसे अपील कर रहे हैं व हमें आशा है कि आप न्यायिक जांच बैठाते हुए मामले में हस्तक्षेप करेंगे।

प्रधानमंत्री जी, हमारे ऊपर जिस हद तक और जिस किस्म के अत्याचार किये गये हैं, उनके बारे में लिखते हुए हमने बड़े धैर्य से काम लिया है। हमारी रपट तथ्यों पर आधारित है। हमने मुख्यमंत्री तथा राज्य के पुलिस निदेशक का भी इंटव्यूं लिया। लेकिन सूचना का प्रमुख आधार अत्याचार के शिकार लोग तथा वे बच्चे हैं जो सामूहिक बलात्कार के बाद अपनी माताओं की हत्या के गवाह हैं।

धर्मनगर जिले के गाचीपुर गांव में 14 महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। इसकी जानकारियां हमारी 'आइड्वा' की साथियों ने स्थानीय समाचार-पत्रों तथा त्रिपुरा से मीटिंग के लिए आये सदस्यों से एकत्र की। हम यह रपट भी साथ में भेज रहें हैं। त्रिपुरा से सुश्री मंग्लेश्वरी तथा रमा दास ने त्रिपुरा के इन अत्याचारों की राष्ट्रपति को खबर दी थी।

भवदीय—

सुशीला गोपालन (आइडवा)
वीणा मजूमदार (सी. डब्ल्यू. डी. एस.)
तारा रेड्डी (एम. एफ. आई. डब्ल्यू)
मंजुला मोहन (महिला दक्षता समिति)
विमल रणदिवे (अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति)

रायपुर संभाग जीवन बीमा निगम कामगार महिला सम्मेलन

रायपुर डिवीजन इन्श्योरेंस एम्पलाइज यूनियन के तत्वाधान में रायपुर मंडल के अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों का एक दिवसीय सम्मेलन दिनांक 8 सितम्बर 91 को महाराष्ट्र मंडल चौबे कॉलोनी रायपुर में सम्पन्न हुआ। ज्ञातव्य है कि जीवन बीमा कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया इन्श्योरेन्स एम्पलाइज एसोसियेशन के आह्वान पर संबद्ध मंडल इकाईयां सम्पूर्ण देश में मंडल स्तर पर कामगार महिला सम्मेलन आयोजित कर कामकाजी महिलाओं के योगदान को ट्रेड यूनियन में सुदृढ़ करने के प्रयास में लगी हुई हैं। रायपुर मंडल के अर्न्तगत आने वाले 23 शाखा कार्यालय छत्तीस गढ़, बस्तर तथा सरगुजा के सुदूर आंचलों में स्थित हैं। रायपुर डिवीजन इन्श्योरेंस एम्पलाइज यूनियन के द्वारा सम्मेलन की तिथी की घोषणा के साथ ही महिला कर्मचारियों के मध्य सम्मेलन को सफल बनाने के उत्साह की लहर व्याप्त हो गयी थी। सम्मेलन की तैयारियों के लिए सात सदस्यीय कमेटी का गठन का० कुसुम मिश्रा के संयोजकत्व में हुआ जिसमें का० शालिनी टोप्पो, का० अनसूइया ठाकुर, का० सुस्मिता डे, का० संध्या मजूमदार, का० मीना लोनकर एवं का० स्मिता गुहा सदस्या थीं। का० संध्या शैली, सदस्य अखिल भारतीय कामगार महिला संयोजन समिति, सम्मेलन की मुख्य अतिथि थीं।

सम्मेलन का उद्घाटन सत्र प्रातः 10.30 बजे प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र के अवसर पर महाराष्ट्र मंडल का सभा-भवन अन्य ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों, मेहमानों, बीमा कर्मचारियों एवं प्रतिनिधि महिला कर्मचारियों से खचाखच भरा हुआ था। सम्मेलन में कुल 180 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों में से 140 ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उदघाटन करते हुए मुख्य अतिथी का० संध्या शैली ने संगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला कामगारों को आह्वान दिया कि वे देश की कामकाजी महिलाओं के संघर्ष का अगुआ दस्ता बने तथा अपने-अपने क्षेत्र की ट्रेड यूनियन में सक्रिय भागीदारी दर्ज कर नारी को रूढ़िमुक्त कराने के, उसका सम्मान सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला को अपने कार्यस्थल तथा घर एवं समाज में दोहरे शोषण का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने एयर होस्टेजेस से लेकर कोयला खानों में कार्यरत कामगार महिलाओं की समस्याओं में व्याप्त एकरूपता का चित्रण किया तथा कहा कि कामगार महिलाओं को ट्रेड यूनियन में सक्रिय होकर पुरुष साथियों के साथ कंधे से कधा मिलाकर मानव शोषण के खिलाफ हो रहे संघर्ष में भागीदारी करना चाहिए क्योंकि इस संघर्ष में ही नारी मुक्ति का संघर्ष छिपा हुआ है। उद्घाटन सत्र को रायपुर शहर की ट्रेड यूनियनों की ओर से रायपुर ट्रेड यूनियन कौंसिल के संयोजक का० सुन्दर लाल शर्मा ने भी सम्बोधित किया।

प्रतिनिधि सत्र में संयोजिका का० कुसुम मिश्रा ने आयोजन समिति की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर 19 महिला साथियों ने 6 घंटे से अधिक बहस कर अपने विचार रखे। अंत में रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित हुई। सत्र के अंत में प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए का० बी. सान्याल, महासचिव आर. डी. आई. इ. यू. ने सम्मेलन को ऐतिहासिक सफलता प्रदान कराने के लिए महिला साथियों को क्रान्तिकारी बधाई दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन न केवल महिला साथियों की उपस्थिती के लिहाज से वरन् महिला साथियों के द्वारा रिपोर्ट पर की गयी चर्चा के स्तर के लिहाज से भी ऐतिहासिक रूप से सफल है। उन्होंने जोर देकर अपील की कि महिला साथियों को न केवल ट्रेड यूनियन कार्यों में और सक्रिय होना चाहिए बल्कि उनमें से नेतृत्व भी उभर कर सामने आना चाहिए। प्रतिनिधि सत्र में अपने समापन भाषण में का० संध्या शैली ने अखिल भारतीय कामगार महिला संयोजन समिति के सामने मौजूद कार्यों का विवरण दिया तथा रिपोर्ट पर हुई चर्चाओं के सारगर्भित होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कामकाजी महिलाओं का आह्वान किया कि वे वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज के निर्माण के संघर्ष को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सामने आयें। उन्होंने रायपुर डिवीजन इन्श्योरेंस एम्पलाइज यूनियन को सम्मेलन को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए बधाई दी।

सम्मेलन के समापन सत्र में जीवन बीमा कर्मचारियों के द्वारा रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जिनमें व्यक्तिगत कार्यक्रमों के अलावा महिला साथियों के द्वारा गरबा नृत्य तथा धमतरी शाखा इकाई के साथियों के द्वारा "औरत" नाटक का मंचन किया गया। "दुनिया के मजदूरों एक हो ' तथा" समाजवाद अमर रहे" के गगनभेदी नारों के मध्य सम्मेलन समाप्त हुआ।

आगनवाड़ी कर्मियों के संदर्भ में वित्तमंत्री को ज्ञापन

श्री मनमोहन सिंह,
वित्त मंत्री, भारत सरकार,
नयी दिल्ली   19 सितम्बर 1991

प्रिय महोदय,

हम आपका ध्यान श्रम व कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आइ. सी. डी एस. परियोजनाओं में कार्यरत लाखों कार्यकर्ताओं व सहायकों की दशा की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आइ. सी. डी. एस. परियोजनाए 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तन पान कराने वाली महिलाओं के लिए हैं। भोजन, टीकों तथा शिक्षा की व्यवस्था प्रमुख सेवाएं हैं। यहां कार्यकर्ताओं को मात्र 250/- व 300/- तथा सहायकों को 110/-प्रतिमाह के मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

इन समस्याओं को लेकर 1989 में प्रधानमंत्री, 1990 में श्रममंत्री श्री रामविलास पासवान तथा 1991 में श्री चन्द्रशेखर से अनेक प्रतिनिधिमंडल मिले तथा मांग की कि आंगनवाड़ी कार्यकताओं को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के तौर पर स्वीकृत किया जाये तथा अंतरिम राहत के तौर पर मानदेय में वृद्धि की जाये।

उन्हें बेहद कम वेतन, गर्भावस्था अवकाश व अन्य सुविधाएं तथा सी. डी. पी. ओ. व पुरुष कर्मचारियों द्वारा छेड़छाड़ की परिस्थितियों के बीक काम करना पड़ता है इस नाममात्र की राशि पर गुजारा करना असंभव है। बहुत से राज्यों में केन्द्र सरकार के परिपत्र में सुझायी गयी 325/- की राशि भी नहीं दी जा रही है।

जब कभी उन्होंने अधिक वेतन तथा नियमित किये जाने की तो उनसे कहा गया कि वे समाजसेवी हैं। तथा उन्हें ऐसी मांग करने का अधिकार नहीं है और अगर उन्होंने ऐसी मांगें करना बन्द नहीं किया तो आई. सी. डी. एस. परियाजना को समाप्त कर दिया जायेगा।

जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार की आर्थिक नीतियों तथा उद्योगों के आधुनिकीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएं असंगठित क्षेत्र में बेहद कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। 50 लाख से अधिक बेरोज़गार महिलाएं पंजीकृत हैं।

जल्दी रोज़गार प्रदान करने के आपकी सरकार के वादे के कारण वे उम्मीद करती हैं कि भविष्य में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे तथा कार्य-स्थितियाँ बेहतर होंगी। अतः हम आशा करते हैं कि आप हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

हमारी मांगें

1. आंगनवाड़ी कर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के तौर पर समान सेवा शर्तों के साथ नियमित किया जाये।
2. जब तक नियमित करने की व्यवस्था न हो, न्यूनतम वेयन प्रदान किया जाये।
3. आंगनवाड़ी कर्मियों व सहायिकाओं के लिए शिक्षा के आधार पर तरक्की के रास्ते होने चहिए।
4. कर्मचारियों व सहायिकाओं को कम से कम दो बच्चों के लिए गर्भावस्था अवकाश (पूरे वेतन सहित) दिया जाना चाहिए।
5. सरकारी नियमों के अनुसार ही अर्जित अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश, रविवार व अन्य सार्वजनिक अवकाश प्रदान किये जायें।
6. पश्चिम बंगाल के समान ही, अन्य सभी राज्यों में भी त्योहार भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए।
7. स्टाइफंड सहित प्रशिक्षण सुविधाओं को आवश्यक बनाया जाय।
8. सरकार को केन्द्रों की स्थापना के लिए जगह, ईंधन व भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
9. केन्द्रों के समीप ही शिशु-सदनों की व्यवस्था होनी चाहिए।
10. जहां तक संभव हो, केन्द्रों में कर्मचारियों को उनके निवास के समीप ही रखना चाहिए तथा यदि उन्हें उनके निवास से दूर रखा जाता है तो रिहायशी सुविधाएं प्रदान की जायें।
11. राज्यों के लिए जारी केन्द्र सरकार के परिपत्रों पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए।
12. परियोजना समिति में यूनियन के एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाये।
13. आंगनवाड़ी महिलाओं से यौन छेड़छाड़ तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

धन्यवाद !   भवदीय :

1. आंगनवाड़ी कर्मचारियों व सहायिकाओं का अखिल भारतीय फेडरेशन
2. अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कामगार यूनियन
3. अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी सघ
4. अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ
5. एच. एम. एस. आंगनवाड़ी यूनियन

"महिला उद्यमियों को सामूहिक बातचीत का अधिकार"

29 अगस्त को दिल्ली में महिला उद्यमियों के सामूहिक बातचीत के अधिकार के समर्थन में श्रमिक संघों की एक बैठक हुई। बैठक का आह्वान श्रम मंत्री ने किया था। बैठक में सीटू, इंटक, एटक, एच एम एस, टी यू सी सी, एन आई टी यू तथा एन एल ओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रमिला पंधे ने ए आई.सी.सी.डब्ल्यू डब्ल्यू (सीटू) की ओर से बैठक में भाग लिया।

श्रम मंत्रालय की सहसचिव सुश्री शशि जैन ने बैठक की अध्यक्षता की। इंटक की सुश्री कान्ता सूद महिला निकाय और इसके काम-काज के बारे में बोलीं। एच एम एस की सुश्री इंदिरा सक्सैना शिवकाशी (तमिलनाडु) की माचिस फैक्ट्री में महिलाओं की हिला देने वाली कार्य-स्थिति के बारे में बोलीं, जहां अनेक महिलाए तथा बच्चे कार्यरत हैं।

प्रमिला पंधे ने दिल्ली की कपड़ा फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं की दशा के बारे में बताया जहाँ महिलाओं को दिल्ली प्रशासन की सिफारिशों के मुताबिक वेतन प्रदान नहीं किया जाता। उन्हें प्रशासन के गुंडों की यौन छेड़-कानियों का शिकार बनना पड़ता है। आंगनवाडी में समाज कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अनेक महिलाएं कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के रूप में काम रही हैं। उन्हें 300/- रुपये तथा 110/- रु. के नाममात्र भुगतान पर 10 से 12 घण्टे प्रतिदिन काम करना पड़ता है। उन्हें सी डी पी ओ अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है जो बड़ी राशि वेतन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। महिलाओं पर अधिकारियों द्वारा बच्चों के लिए निर्धारित खाद्य पदार्थ चुराने के घृणित आरोप लगाये जाते हैं व गालियाँ दी जाती हैं। दिल्ली प्रशासन के अतर्गत समाज कल्याण केन्द्र में पीस रेट के रूप में पिछले 40 वर्षों से कार्यरत महिलाओं को सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ प्रदान नहीं किये जाते। यूनियन 65 वर्ष की उम्र के बाद नियमित पेंशन लगातार मांग करती रही है।

जहाँ तक बाल मजदूरी का प्रश्न है 80 प्रतिशत बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। जब तक सरकार इन बच्चों के अभिभावकों के वेतन नहीं बढ़ाती तथा मुफ्त शिक्षा का प्रबंध नहीं करती तब तक बाल मजदूर कानून लागू नहीं किया जा सकता। बीड़ी तथा बागान उद्योगों में महिलाओं को समान वेतन प्रदान नहीं किया जाता। एयर इंडिया में एयर होस्टेसों के साथ भेदभाव किया जाता है तथा उन्हें 45 वर्ष की आयु के बाद भूमि सेवाएं देने के लिए बाध्य किया जाता है। यह समान वेतन कानून का उल्लंघन है लेकिन सरकार प्रबधकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती। एक अन्य हिला देने वाली बात यह है कि जब कोई विमान परिचारिका गर्भवती हो जाती है तो उसकी सेवायें रोक दी जाती हैं तथा उसे तब तक के लिए वेतन नहीं दिया जाता जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। उसे केवल तीन माह का वेतन प्रदान किया जाता है।

अंत में प्रमिला पंधे ने कोयला खदानों की ओर ध्यान दिलाया। मशीनीकरणके कारण हजारों महिलाओं को निकाल दिया गया है। इन सभी मामलों में सामूहिक बातचीत के अधि कार का उल्लंघन हुआ है।

एन एफ आई टी यू की कु. बग्गी ने कहा कि मजदूरों को उनकी समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के लिए और सेमिनार किये जाने चाहिये। टी यू सी सी के डी डी शास्त्री ने कहा कि जब तक अभावग्रस्त लोगों की स्थिति में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन नहीं होते, हम बाल मजदूरी समाप्त करने की बात नहीं कर सकते। एन एल ओ प्रतिनिधि ने मिलें बन्द होने के कारण अहमदाबाद के कपड़ा मजदूरों की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम अनेक बार उद्योग मंत्रालय से मिल चुके हैं लेकिन अब तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया।

यह फैसला किया कि इस मसले पर अगली बैठक नवम्बर में की जायेगी।

उड़ीसा से महिला कामगारों की गतिविधियों पर रपट

कुमुदनी बेहरा

कामकाजी महिलाओं का तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन 'साल्टलेक' में हुआ जिसमें उड़ीसा से सात प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सदस्यों में से तीन ठेका मजदूर थीं एक पिसाई-मिल से एक स्टील उद्योग से तथा एक सीमेंट उद्योग में कार्यरत ठेका मजदूरों से से थीं। अन्य एक सदस्य मध्यमवर्ग कर्मचारी थीं।

10 सदस्यों की एक राज्य स्तरीय कामगार महिला समन्वय समिति गठित की गयी। इनमें से सात लोग सीटू की राज्य समिति के सदस्य हैं। सीटू राज्य समिति की बैठक 5 अप्रैल को हुई जिसमें दो लोगों ने भाग लिया। इसदौरान समन्वय समिति की अलग से औपचारिक बैठक नहीं हो पायी। अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद से इस उद्देश्य से अलग से कोई राज्यस्तरीय मीटिंग नहीं हुई।

मध्यवर्गीय महिला उद्यमियों के बीच गतिविधियां

भुवनेश्वर स्तर पर सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला उद्यमियों को संगठित करने के प्रयास किये गये। कटक में एक समन्वय समिति गठित की गयी। 'लिफ्ट कर्मियों' के साथ औपचारिक बातचीत भी की गयी।

नलिनी देवी महिला कॉलेज की शिक्षकों व कर्मचारियों का संघर्ष

भुवनेश्वर का नलिनि देवी महिला कॉलेज उड़ीसा का एकमात्र महिला कॉलेज है। इस कॉलेज का सचालन ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। अक्टूबर 1990 में ट्रस्टी, सचिव, अध्यक्ष अध्यापिकाएं व कर्मचारी सबको संस्थान से निकाल दिया गया। यह सब राजनीतिक दबाव में किया गया व कॉलेज में अनधिकृत व असामाजिक लोग घुस आये। अतः कॉलेज की शिक्षिकाओं ने अक्टूबर 1990 से जून '90 तक कॉलेज के सामने धरना दिया। गुण्डा तत्वों ने शांतिपूर्ण शिक्षिकाओं को खुलेआम परेशान व आतंकित किया। हमारी पार्टी के मार्गदर्शन में उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया। हमने दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की। एक लम्बे संघर्ष के बाद सरकार ने कॉलेज को अपने हाथ में ले लिया। यह हमारी बहुत बड़ी विजय थी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

सातवीं योजना के अंत के समय निरीक्षकों की संख्या 495 थी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 8980 थी। लेकिन आठवीं योजना के आरंभ के समय निरीक्षकों की संख्या 660 है व कार्यकर्ताओं की संख्या 11993 है। उड़ीसा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्द्धकुशल मजदूर घोषित किया गया है। इसमें उन्हें 910 रुपये प्रतिमाह वेतन का अधिकार प्राप्त होगा। काफी प्रयास के बाद बी एम एस एक यूनियन स्थापित कर सकी है। हमारे कुछ संपर्क हैं, लेकिन वे अभी संगठित नहीं हो पाये हैं।

अन्य गतिविधियाँ

तीसरे अखिल भारतीय सम्मेलन के आह्वान का भी प्रचार किया गया। इस पर का. कुमुदनी बेहरा का लेख 'श्रमिक एकता' व 'साम्यवादी' में प्रकाशित हुआ। काल्टा, बारबिल, झार्सुगुडा, सोनपुर, बारीपाड़ा, कटक (सी आर आर आई) व भुवनेश्वर में स्थानीय समन्वय समितियां बनीं। लेकिन चूंकि स्थानीय यूनियनें उन्हें महत्व नहीं देतीं अतः इन समितियां का कामकाज संतोषजनक नहीं रहा।

'वॉइस ऑफ दी वर्किंग वोमेन' व 'कामकाजी' महिला'

'कामकाजी महिला' व वाइस ऑफ दी वर्किंग वोमेन' का प्रसार बहुत कम है। हम इनकी प्रसार संख्या 100 तक करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

तमिलनाडु ए.आई.सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू पर रपट

परमेश्वरी देवी

मैं तमिलनाडु विद्युत कामगार महिला समन्वय समिति की ओर से यह रिपोर्ट रख रही हूँ।

12-13 फरवरी' 91 को कलकत्ता में हुए तीसरे अखिल भारतीय कामगार महिला सम्मेलन के महत्व को समझाने के लिए 9-3-91 को त्रिची में समन्वय समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। सम्मेलन द्वारा लिए फैसलों से सदस्यों को अवगत कराया गया।

बैठक में फैसला किया गया कि महिला-उद्यमियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करवाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाये।

फैसले के अनुसार 1-4-91 से 6-4-91 तक सफलतापूर्वक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में 2000 से अधिक महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।

11-5-91 को समन्वय समिति ने विद्युत बोर्ड के चेयरमैन से बात की तथा उनसे महिलाओं की समस्याएं सुलझाने का अनुरोध किया।

इसके जवाब में बोर्ड के चेयरमैन ने महिलाओं को अलग शौचालय व भोजन कक्ष की सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी किये। यह एक बड़ी विजय है।" अन्य मांगें हासिल करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करते रहना आवश्यक है।

विद्युत उद्योग में कार्यरत महिलाओं ने चुनाव प्रचार में भी सक्रिय योगदान दिया था तथा घर-घर प्रचार किया था।

महिलाएं संगठन के कामकाज में उत्साह से भाग ले रही हैं और हमें विश्वास है कि समन्वय समिति के दिशा निर्देश में वे हिम्मत के साथ संघर्ष करके अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगी।

"हावड़ा जिला कामगार महिला सम्मेलन"

निशा रॉय, बंगाल

केन्द्र तथा राज्य जिला सीटू के फैसले के मुताबिक सीटू की हावड़ा जिला समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को सीटू के अंतर्गत संगठित करने पर बल दिया है।

इस सिलसिले में जिला सीटू ने एक उपसमिति बनायी है। 17 अगस्त' 91 को एक जबर्दस्त सम्मेलन हुआ। जिला सीटू नेता का. अमाल सेन ने सीटू का झंडा फहराया। शहीद भेदी पर माल्यार्पण किया गया। बर्न एण्ड कम्पनी, जूट मिल आइ सी डी एस, बीड़ी तथा सिलाई उद्योग में कार्यरत महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता एक अध्यक्षमंडल ने की जिसमें कॉ. ज्योत्सना दत्त, कॉ. निरूपमा चटर्जी व कॉ. निशा रॉय शामिल थीं।

कॉ. निशा रॉय ने मांग पत्र व एक प्रस्ताव रखा जिस पर अनेक सदस्य बोले। इसके बाद हावड़ा जिला सीटू के महासचिव नरेश दास गुप्ता तथा जानी मानी महिला नेता भारती बिश्वास ने सम्मेलन को संबोधित किया।

अंत में 27 सितम्बर को महिला उद्यमियों की लामबंदी व अन्य कार्यक्रम रखे गये।

महिलाओं के दिशा निर्देश के लिए उपसमिति गठन

पश्चिम बंगाल सीटू के अंतर्गत कामगार महिलाओं की एक उपसमिति गठित की गयी है। उपसमिति ने विभिन्न उद्योगों में महिला उद्यमियों के सामने वाली समस्याओं के बारे में प्रचार करने के साथ ही साथ उन्हें संगठित करना भी आरम्भ कर दिया है। लघु उद्योग व निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को भी संगठित किया जा रहा है।

राज्य सीटू काउंसिल के निर्देशानुसार जिला समितियां भी सम्मेलन कर रही हैं तथा महिला उद्यमियों को सीटू के अंतर्गत संगठित कर रहीं हैं।

26 अगस्त को आई सी डी एस मजदूरों ने एक बड़ी रैली की तथा एक जन प्रतिनिधि मंत्री से मिले।

भोपाल गैस पीड़ित महिलाओं की ओर से एक ज्ञापन

भोपाल में राज्य उद्योग निगम द्वारा गैस पीड़ित महिलाओं के लिये संचालित सिलाई केंद्रों में सिलाई का काम करने वाली महिलाओं को काम करने के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सिलाई केन्द्रों में महिलाओं को सिलाई का काम घर पर करने के लिये दिया जाता है। इसके कारण इनकी आय व अन्य सुविधाओं में जबरदस्त कटौती होती है। निवेदन है कि इन परिस्थितियों में हम महिलाओं की निम्नलिखित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये व उन्हें पूरा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये—

1. सिलाई की दर अत्यन्त कम है। एक सेट के मात्र 4/- रुपये मिलते है और महिने भर में 80 सेट सिलने में मात्र 320/- रुपये की आय हो पाती है। अतः सिलाई की दर बढ़ाई जाये।

2. सिला हुआ माल लेने या देने के लिये महिलाओं पर लगी समय की पाबंदी हटाई जाये।

3. सेन्टर पर काम करने वाली महिलाओं को परिचय-पत्र दिये जायें।

4. बोनस का वितरण पिछले दो वर्षों से नहीं हुआ है। दिवाली के समय तक बोनस वितरित किया जाये।

5. वर्तमान में प्रबंधन की मनमानी के कारण 5 सप्ताह वाले महीनों में भी एक महिला की आय 400/- रुपये तक नहीं पहुंच पाती इस मनमानी को बन्द किया जाये।

6. गैस पीड़ितों का सरकारी खर्च पर जीवन बीमा किया जाये।

7. सिलाई सेन्टर पर ही चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाये, परन्तु सिलाई करने वाली महिलायें जिस दिन माल जमा करने जाती हैं (सोमवार व शुक्रवार) उन दिनों में चिकित्सक वहां पर नहीं रहते। अतः उक्त दिनों पर भी चिकित्सकों की व्यवस्था की जाये।

8. शेड में बैठकर सिलाई करने की व्यवस्था की जाये।

[पृष्ठ 2 का शेष]

खिलाफ उत्पीड़न दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है।

इसीलिए 1 से 3 सितम्बर तक नयी दिल्ली में हुयी सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक में पूरे मजदूर वर्ग से अपील की गयी कि सम्बद्धताओं से ऊपर उठकर एकजुट हों और कांग्रेस (आइ) सरकार के इस हमले का प्रतिरोध करने के लिए देश भर में शक्तिशाली आंदोलन संगठित करें। मजदूर वर्ग को यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस (आइ) सरकार का यह हमला मजदूर वर्ग और शोषित-उत्पीडित जनता—जिसमें कामगार महिलाएं भी शामिल हैं—की काम की सुरक्षा और उसके जीवन स्तर पर हमला है।

आज हम ऐसी स्थिति से दो-चार हैं जो अभूतपूर्व है। यह स्थिति देश-भर में जबर्दस्त शैक्षिक अभियान की मांग करती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाये हमें पूरे देश में एकजुट सघर्ष के लिए सारे मजदूरवर्ग को लाम बद करना होगा।

विश्व बैंक और आइ एम एफ के बोसों को मजदूर वर्ग को एक स्वर से यह बता देना होगा कि बड़े औद्योगिक घराने और जमींदार बेशक देश के हितों को बेच देने के लिए तैयार हो सकते हैं लेकिन भारत की जनता—जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनकों जिंदगियां कुर्बान की हैं—यह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि देश की आजादी को आइ एम एफ के पास गिरवी रख दिया जाय।

सीटू को विश्वास है कि भारत का मजदूर वर्ग इस मौके पर उठ खड़ा होगा और देश व्यापी अभियानों, आंदोलनों, औद्योगिक हड़ताल कार्रवाइयों और प्रतिरोध के अन्य तरीकों की तैयारी करेगा।

खेत मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, तकनीकविदों, लेखकों, कलाकारों और दूसरे जनसंगठनों के साथ मिलकर मजदूर वर्ग एक ऐसा आंदोलन छेड़ने मे कामयाब होगा जो प्रभावशाली ढंग से विश्व बैंक—आइ एम एफ की घृणित तिकड़यों का मुकाबला कर सकेगा और देश की आत्मनिर्भरता तथा संप्रभुता को गिरवी रखने की नीति को मात देगा। अमरीका जान ले कि इस देश की जनता अभी जिंदा है और कि भारत बिकाऊ नहीं है।

मध्य प्रदेश कामगार महिला समन्वय समिति का गठन

10 सितम्बर 1991 को म. प्र. भोपाल में कामगार महिलाओं की एक राज्य स्तर की बैठक आयोजित की गई

इस बैठक का उद्देश्य एक राज्य स्तर की कामगार महिला समन्वय समिति बनाना था। बैठक में अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की संयोजक का० विमल रणदिवे उपस्थित थीं। सीटू के राज्य के जनरल सेक्रेटरी का० एस. कुमार भी बैठक में उपस्थित थे। कामगार महिलाएं भी बीड़ी, कपड़ा, होजरी नगर निगम, पी. एच. ई. पी. डब्लू. डी., लघु उद्योग, कागज कारखाना, आंगनवाड़ी, गैस पीड़ित महिला उद्योग सिलाई केन्द्र व मध्यम वर्ग की पोस्टल व टेलिग्राफ व एल. आई. सी. जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आई थी। उपस्थित कुल महिलाओं की सख्या 30 थी।

बैठक के प्रारम्भ में सीटू राज्य कमेटी के जनरल सेक्रेटरी का० एस. कुमार ने का० विमल रणदिवे का परिचय देने के बाद कामगार महिला समन्वय समिति बनाने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। इसके बाद म. प्र. से अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की केन्द्रीय कमेटी की सदस्य का० संध्या शैली ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में म. प्र. में सीटू व कामगार महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया गया। म. प्र. में कुछ स्थान है जिनमे सीटू मजबूत है जैसे इन्दोर, ग्वालियर, यहाँ कामगार महिलाएं भी काफी संख्या में हैं। यहाँ जरूरत है तुरन्त पहल करके इन महिलाओं को सीटू से सम्बंधित यूनियन के सदस्य बनाया जाएं। और इसके बाद वहाँ स्थानीय स्तर पर समन्वय समिति बनाई जाये। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सीटू उपस्थिति लगभग नहीं है परन्तु कामगार महिलाएँ काफी बड़ी संख्या में है जैसे दमोह, सागर। यहाँ बीड़ी मजदूर काफी संख्या में हैं। यहाँ राज्य केन्द्र को सीधे हस्तक्षेप कर सम्पर्कों के द्वारा इनको यूनियन में लाने की कोशिश करनी चाहिये कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सीटू की जिला समिति काम कर रही है और कामगार महिलाएँ भी थोड़ा बहुत संख्या में है ऐसे क्षेत्रों में उन महिलाओं के बीच जिला कमेटी ने सम्पर्क करके उन्हें यूनियन की सदस्य बनाना चाहिए। ये निर्णय यद्यपि दिसम्बर में हुई सीटू के राज्य सम्मेलन में लिए गए परन्तु दिसम्बर देश की राजनैतिक परिस्थिति जिस तरह रही उसमें कोई काम सम्भव नहीं हो सका।

रिपोर्ट के बाद विभिन्न स्थानों से आई कामगार महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताया। रीवा से आई का० शकुन ने बीड़ी के कारखाने में बन्डल बाधने के काम में लगी महिलाओं की परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि दो पालियों में (रात व दिन की) काम करने के बाद ही 500-600 रु० मिल पाते थे। सीटू के हस्तक्षेप के बाद मालिक ने महिलाओं से रात में काम लेना बन्द कर दिया परन्तु इससे उनकी आय पर असर पड़ा है। गैस पीड़ित महिला उद्योग सगठन की का० हाजरा बी ने म. प्र. राज्य उद्योग केन्द्र द्वारा सचालित सिलाई केन्द्रों में कामगार महिलाओं के शोषण के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि महीने की कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें 320 रु० ही मिल पाते हैं। ये सारी महिलाएँ चूंकि पीस रेट पर काम करती हैं इस कारण उन्हें फेक्ट्री एक्ट के अर्न्तगत आने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। ग्वालियर की बनियान फेक्ट्री की का० माया ने अपने आन्दोलन के बारे बताया। उन्होंने बताया कि पिछले बर्ष आन्दोलन में भाग लेने वाली कुछ महिलाएँ आज भी बेरोजगार हैं। मालिक ने उन्हें काम पर वापस नहीं लिया है परन्तु सीटू में इन महिलाओं की आस्था कम नहीं हुई है। सीटू इस मामले को अब न्यायालय में ले गई हैं।

ग्वालियर की ही ज. सी. मिल से आई का० कांचीबाई ने बताया कि मशीनीकरण सूती विभाग का बन्द हो जाना व नई भर्ती पर रोक के कारण महिला मजबूरों की सख्या में बेहद कमी हुई है। नई भर्ती पर रोक के कारण न पहले की महिलाएँ उम्र दराज हो जाने के कारण झूला घर की सुविधा की जरूरत नहीं बची है।

इन्दौर की का. निर्मला व्यास ने इन्दौर के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि दवा उद्योग दाल तेल मिल,

R. N. 47434/88

कागज के कारखाने मे अच्छी खासी संख्या में महिलाएँ काम कर रही है वे यूनियन की सदस्य भी हैं उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है। इन्दौर से ही कागज कारखाने में काम करने वाली का. गीता ने बताया कि यद्यपि उन्हें छुट्टियाँ मिलती है परन्तु फिर भी मजदूरों की संख्या कम होने से कार्यभार अधिक है। ग्वालियर की नगर निगम की कर्मचारी का० मधुबाई का भी यही कहना था कि कर्मचारियों की संख्या काम के काफी कम है। 10-12 वर्ष से काम करने के बावजूद स्थाई नहीं हो पाती हैं। है। बोनस, ड्रेस आदि कई सुविधायें केवल कागजों पर हैं। प्रदेश की आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से कटघोरा क्षेत्र में काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का० सुमन अग्रवाल ने कार्यकर्ता की परेशानियां बताई और यूनियन बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ग्वालियर से पी. एच. ई. विभाग की का० पार्वती बाई ने सीटू के संघर्ष में महिलाओं द्वारा हमेशा सहयोग देने का वादा किया। बैठक में शिक्षिकाओं की ओर से गीता जोशी व एल. ए. आई. सी. रायपुर से का० उषा परनानिया व भोपाल एल. आई. सी. की ओर से श्रीमती माने ने इन मध्यम वर्गीय महिला कर्मचारियों की स्थानान्तरण पदोन्नति, झूलाघर, खाने के लिए कमरे जैसी हमेशा की परेशानियों के विषय में आवाज उठाई। लेकिन एल. आइ. सी. में उन्होंने कहा कि यूनियन इस सम्बन्ध में अब विशेष रूप से ध्यान दे रही है। महिलाओं को यूनियन में सक्रीय करने की कोशिशें जारी है। रायपुर में 8 सितम्बर को एल. आई. सी. की रायपुर डिविजन की महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें उन महिलाओं ने हिस्सा लिया इसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो अगले सम्मेलन तक काम करेगी। बहस के बाद बैठक में उपस्थित का० विमल रणदिवे ने महिलाओं को सम्बोधित किया।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में म. प्र. के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर पर भी कामगार महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। मशीनीकरण के बाद विभिन्न उद्योगों में जो कर्मचारियों, मजदूरों की छंटनी हुई है उनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। इसके अतिरिक्त महिला होने के नाते जो सुविधाएं छुट्टियां कामगार महिलाओं को मिलनी चाहिए वे भी तब तक दी जातीं जब तक यूनियन इसके लिए संघर्ष नहीं करती। आज देश भर मे महिलाएं अपने इस शोषण के खिलाफ संगठित हो रही है। म. प्र. में भी आज कामगर महिलाओं की जो बदतर स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार उनका असंगठित रहना है। समय की मांग है कि महिलाओं को उनकी यूनियनों में संगठित किया जाये, सक्रिय किया जाये। वर्तमान औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति ने देश को आई. एम. एफ. की ओर कड़ी शर्तों में बांध दिया है जिसका परिणाम भविष्य में सबसे अधिक कामगार महिलाओं को उठाना पड़ेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी आमतौर से मजदूर/कर्मचारी आंदोलन की ओर अधिक संगठित होने के लिये संघर्ष के लिए तैयार होने के लिये मजबूर कर रही है स्थितियों में यदि हम बिखरे रहेंगे महिलाओं को यूनियन में सक्रिय नहीं करेंगे तो महिलाओं के अलावा हमारे मजबूर कर्मचारी आन्दोलन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

का. विमल रणदिवे ने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक में जो महिलाएं उपस्थित हुई हैं वे भविष्य में महिलाओं के बीच जाकर संगठित करेंगी।

बैठक के अन्त में एक छः सदस्यीय अस्थाई कमेटी का गठन किया गया जिसकी सीटू ही हर राज्य कमेटी बैठक होगी इसकी कमेटी में एल आइ सी की साथी आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेंगी। कमेटी में ग्वालियर की का. पार्वती बाई, इन्दौर से का. बसन्ती भारती, बीडी क्षेत्र से का. शकुन, आंगनवाड़ी महिलाओं से का. सुमित्रा अग्रवाल व भोपाल से का. हाजरा बी रहेंगी। एल. आई. सी. की का. ऊषा पदघनिया इस कमेटी की आमंत्रित सदस्य होंगी। कमेटी की संयोजक का. संध्या शैली होंगी। इस निर्णय के साथ कि निकट भविष्य में इन्दौर व ग्वालियर में कामगार महिलाओं के सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं की राज्य स्तर पर एक यूनियन गठित की जाएगी यह बैठक समाप्त हुई।

Book Post